मध्यप्रदेश शासन

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

सामान्य प्रशासन विभाग
मध्यप्रदेश

MADHYA PRADESH
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2020 - 2021

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	**सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्रीगण एवं अधिकारीगण**	1 - 2
	भाग - एक	3 - 59
2.	**विभागीय संरचना**	3 - 11
	2.1 विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	
	(क) राजनैतिक	
	(ख) सामान्य	
	(ग) नियुक्तियॉ एवं सेवाएं	
	(घ) प्रशिक्षण	
	(च) प्रशासनिक सुधार एवं सतर्कता	
	(छ) कर्मचारी कल्याण	
	(ज) विविध	
	2.2 विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम	
	2.3 विभाग के आयोग एवं कार्यालय	
	2.4 विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं का नाम	
3.	**विभाग के महत्वपूर्ण विषय**	12 - 35
	3.1 मंत्रि-परिषद	
	3.2 मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम एवं मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम	
	3.3 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय	
	3.4 आर्डर ऑफ प्रेसिडेन्स	
	3.5 मंत्री/राज्य मंत्री का दर्जा	
	3.6 मंत्रीगण का स्वेच्छानुदान	
	3.7 पारितोषिक एवं अलंकरण	
	(1) अशोक चक्र श्रृंखला पुरस्कार	
	(2) राज्य स्तरीय वीरतापूर्ण कार्य पुरस्कार	
	(3) राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार	
	(4) संत महापुरुषों के नाम पर पुरस्कार	
	(5) इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक सौहार्द पुरस्कार	
	(6) भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सदभावना पुरस्कार	
	(7) सुशीलचन्द्र वर्मा पुरस्कार	
	(8) मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	
	(9) स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार	

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या

(10) प्रादेशिक सैनिकों को पुरस्कार

3.8 प्रादेशिक सेना दिवस हेतु अनुदान

3.9 अन्तर्विभागीय समिति

3.10 सड़क दुर्घटना में घायलों को आर्थिक सहायता अनुदान

3.11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

3.12 मीसा/डीआईआर में निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान निधि

3.13 कार्मिक नीति

3.14 आरक्षण

3.15 लेखा शाखा

3.16 कर्मचारी कल्याण

3.17 कार्य नीति

3.18 निरीक्षण

3.19 प्रशासनिक सुधार

(1) अधिकारियों द्वारा मासिक डायरी का संधारण

(2) कलेक्टर कॉंफ्रेंस

(3) मंत्रालय में ई-ऑफिस परियोजना का क्रियान्वयन

(4) प्रभारी सचिव

(5) आपकी सरकार आपके द्वार

3.20 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन

3.21 संसदीय कार्य

3.22 मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ

3.23 मध्यप्रदेश मंत्रालय पुस्तकालय तथा अभिलेखागार

3.24 स्थापना सम्बन्धी कार्य

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा

(3) मंत्रालयीन (राजपत्रित) अधिकारियों की स्थापना

(4) मंत्रालयीन (अराजपत्रित) कर्मचारियों की स्थापना

(5) अधीक्षण शाखा (चतुर्थ-श्रेणी स्थापना)

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
4.	**विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विभागाध्यक्ष कार्यालय/संगठन की महत्वपूर्ण गतिविधियां**	36 - 59
	4.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग	
	4.2 आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी	
	4.3 मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग	
	4.4 लोकायुक्त संगठन	
	4.5 आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ	
	4.6 मुख्य तकनीकी परीक्षक (सर्तकता) संगठन	
	4.7 विभागीय जांच आयुक्त	
	4.8 आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन, नई दिल्ली	
	4.9 मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग	
	4.10 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग	
	4.11 प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय एकता समिति	
	4.12 राज्य सत्कार कार्यालय	
	भाग - दो	60 - 61
5.	**बजट**	
	5.1 मांग संख्या - 001	
	5.2 मांग संख्या - 002	
	भाग - तीन	62 - 63
6.	राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
	भाग - चार	64
7.	जांच आयोग	
	भाग - पांच	65
8.	अभिनव योजना/कार्य	
	भाग - छः	65
9.	निकाले जा रहे प्रकाशन	
	भाग - सात	66
10.	महिला सशक्तिकरण	
	भाग - आठ	67
11.	सारांश	
	परिशिष्ट - एक - सामान्य प्रशासन विभाग के कक्षों मे कार्य आवंटन	68 - 77
	परिशिष्ट - दो - राज्य शासन के विभागों के नामों की सूची	78 - 79

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2020 - 2021

1. सामान्य प्रशासन विभाग के माननीय मंत्रीगण एवं अधिकारीगण

मुख्यमंत्री	श्री शिवराज सिंह चौहान
राज्यमंत्री	श्री इन्दर सिंह परमार
मुख्य सचिव	श्री इकबाल सिंह बैंस
अपर मुख्य सचिव	श्री विनोद कुमार
प्रमुख सचिव (कार्मिक)	श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी
सचिव	ड़ॉ. श्रीनिवास शर्मा
अपर सचिव	श्री ललित कुमार दाहिमा
उप सचिव	श्री अरविन्द दुबे श्रीमती मनीषा सेंतिया सुश्री रूही खान (अतिरिक्त प्रभार) श्रीमती दिशा नागवंशी श्रीमती अर्चना सोलंकी (कार्मिक) श्रीमती माधवी नागेन्द्र श्रीमती मधु नाहर श्री ब्रजेश सक्सेना (कार्मिक)

राज्य शिष्टाचार अधिकारी पदेन उप सचिव	श्री डी.के. नागेन्द्र
अवर सचिव	श्रीमती रंजना पाटने श्री एम. के. बातव (कार्मिक) श्री सुनील मड़ावी श्रीमती श्यामबाई धुर्वे श्री फजल मोहम्मद (कार्मिक)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	रिक्त
उप संचालक (कर्मचारी कल्याण संगठन)	रिक्त
मुख्य लेखा अधिकारी	श्रीमती संतोष सोनकिया
वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवं पदेन उप सचिव (लेखा)	श्री सतीश उपाध्याय
लेखा अधिकारी	श्री दीपक धगट
सत्कार अधिकारी	श्री संजय सिंह चौहान

भाग - एक

2. विभागीय संरचना

सामान्य प्रशासन विभाग राज्य शासन का मुख्य विभाग है। इस विभाग के अन्तर्गत मुख्य रूप से नीति संबंधी विषय, अन्तर्विभागीय समन्वय, शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियम/निर्देश, प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना एवं सेवायें, कार्मिक प्रशासनिक सुधार, सतर्कता तथा प्रशिक्षण तथा राज्यपाल सचिवालय से संबंधित कार्य संपादित किए जाते है।

विभाग में कार्य संपादन हेतु वर्तमान में एक अपर मुख्य सचिव, एक प्रमुख सचिव (कार्मिक), एक सचिव, आठ उप सचिव, एक राज्य शिष्टाचार अधिकारी एवं पदेन उप सचिव, एक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (रिक्त), एक मुख्य लेखा अधिकारी, पाँच अवर सचिव, एक उप संचालक (कर्मचारी कल्याण संगठन) (रिक्त), एक वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं पदेन उप सचिव (लेखा), एक सत्कार अधिकारी तथा एक लेखा अधिकारी पदस्थ हैं।

विभाग के इक्कीस कक्ष तथा सात प्रकोष्ठ हैं। कक्षों एव प्रकोष्ठों में संपादित होने वाले कार्यों का विवरण **परिशिष्ट - एक** पर दर्शाया गया है।

विभाग में प्रतिपादित महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(2.1) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. शासन के कार्य आवंटन नियम तथा कार्य नियम
2. राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार तथा छुट्टी के संबंध में अधिकार
3. राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति और त्याग-पत्र की अधिसूचना जारी करना
4. मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों और संसदीय सचिवों के वेतन और भत्ते
5. उच्च न्यायालय का गठन तथा संरचना
6. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्याग-पत्र, वेतन, अवकाश, पेंशन तथा भत्ते
7. राजस्व मण्डल-अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति
8. संघ लोक सेवा आयोग से समन्वय
9. राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित मामले -
   (एक) सेवा की शर्ते
   (दो) कृत्यों का परिसीमन
10. राज्य निर्वाचन आयोग

11. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग से संबंधित कार्य :

(क) मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में अभिकरणों से प्राप्त शिकायतों के बारे में जांच करने के लिए नोडल विभाग के रुप में कार्य करना तथा निम्नलिखित अभिकरणों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(1) भारत सरकार,

(2) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,

(3) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

(ख) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार से संबंधित कार्य

राजनैतिक

12. राजनैतिक क्रियाकलाप
13. पाक्षिक प्रतिवेदन
14. कूट लेख और गूढ़ लेख (कोड्स एण्ड सायफर्स)
15. भारत- पाक संबंध
16. युद्ध और शांति
17. संयुक्त राष्ट्र संघ
18. भारत की प्रतिरक्षा
19. नौ सेना, थलसेना, वायुसेना
20. भारत में प्रवेश और प्रवास और उससे निष्कासन
21. विलीन रियासतों से संबंधित मामले, अर्थात् -

(एक) एकीकरण करार

(दो) राजाओं के व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार, उनकी निजी थैलियाँ, निजी सम्पत्ति और उनके परिवार के सदस्यों के भत्ते

(तीन) विलीनीकरण के पूर्व ऐसी रियासतों में राज्य समारोह के रुप में मनाये जाने वाले समारोह, और

(चार) विभागीय क्रियाकलापों का समन्वय

22. पारितोषक और अलंकरण
23. राष्ट्रीय एकीकरण
24. भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा
25. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से उद्भूत एकीकरण संबंधी विषय
26. क्षेत्रीय परिषद्
27. न्यायिक और कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण
28. प्रादेशिक सेना
29. संसद और विधान सभा के सदस्यों और प्रशासन के बीच संबंध
30. सम्मेलन-संसद सदस्य/आयुक्त/कलेक्टर

31. जिला सलाहकार समितियां
32. राष्ट्रपति से वित्तीय सहायता से संबंधित मामले
33. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि
34. राज्य के दान/वित्तीय सहायता तथा अनुदान आदि
35. मंत्रियों की विवेकाधीन निधि/जन-सम्पर्क दौरे
36. स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को पेंशन एवं राजनैतिक पेंशन
37. मीसा बन्दियों को सम्मान निधि

सामान्य

38. राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत
39. राज्य चिन्ह
40. राष्ट्रीय त्यौहार
41. राज्य के उत्सव और समारोह
42. शासकीय प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय कैलेण्डर
43. शासकीय पोशाक
44. पूर्वता-अधिपत्र
45. महत्वपूर्ण घटनाएं
46. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु और संवेदना-संदेश
47. अतिविशिष्ट व्यक्तियों का आगमन
48. राज्य अतिथि गृह और राज्य अतिथियों का आतिथ्य
49. मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली से संबंधित विषय
50. भौगोलिक नामों में परिवर्तन
51. शासकीय भवनों का नामकरण
52. राजपत्र (असाधारण)
53. अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री-सरकारी नीलामी

नियुक्तियां एवं सेवाएं

54. भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सिविल सेवा/प्रशासनिक सेवा से संबंधित समस्त विषय (वित्त विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ - नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्नतियाँ, भविष्य निधियां, अग्रिम, प्रतिनियुक्तियाँ, दण्ड तथा अभ्यावेदन
55. सिविल सेवा और सेवावृत्त
56. नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण

57. वृत्ति संबंधी योजनाएं बनाना (कैरियर प्लानिंग)
58. मंत्रालय -
    (एक) अधिकारी तथा स्थापना
    (दो) प्रशासनिक सुधार
    (तीन) भवन
59. मंत्रालय में पदेन प्रास्थिति प्रदान करने का प्रस्ताव
60. मंत्रियों के निजी कर्मचारियों से संबंधित विषय
61. राज्य लोक सेवाएं-सेवा शर्तों और उनके निर्वचन के विशेष संदर्भ में सामान्य नियम और आदेश जारी करना
62. विभागों को उनके कृत्यों तथा विषय से सुसंगत समुचित कार्मिक नीतियां बनाने में सहायता देना
63. समन्वय के मामले (सेवा विषयों से संबंधित)
64. विभाग के परामर्श से विभिन्न सेवाओं के लिए भर्ती की नीति अवधारित करना
65. शासकीय सेवा में उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए उनके चरित्र और पूर्ववत् तथा उपयुक्तता का सत्यापन करने के बारे में सामान्य नीति
66. श्रेणी (ग्रेड्स), वेतनमान तथा पदोन्नति के अवसरों के संबंध में उनकी संलग्नता तथा संतुलन बनाये रखते हुए युक्तिसंगत सेवा संरचनाओं को अवधारित करना
67. यह सुनिश्चित करना कि विभागों में समुचित सेवा नियम, जिनमें पदों की अनुसूचियां भी सम्मिलित हैं, प्रारुपित तथा प्रवर्तित किए गए हैं
68. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, नि:शक्तजनों, भूतपूर्व सैनिकों एंव महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण और शर्तों से संबंधित नीति
69. सीधी भरती तथा प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच पद प्रभाजन करने के लिए युक्तिसंगत तथा न्यायसंगत सिद्धांतों को विकसित करना
70. पदक्रम सूचियां तैयार करने तथा प्रकाशित करने एवं अभ्यावेदनों के निपटारे के संबंध में पर्यवेक्षण करना
71. विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों का समय पर आयोजन तथा प्रोन्नत व्यक्तियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे की उचित रुप से पूर्ति सुनिश्चित करना
72. परिवीक्षा तथा स्थायीकरण से संबंधित नियमों के पालन का पर्यवेक्षण
73. अन्तर्विभागीय सेवा के मामले, जैसे समता, प्रतिनियुक्ति या सेवाओं की मूल शर्ते आदि तय करना
74. सामान्य स्वरुप तथा सभी पर लागू होने वाले सेवा के मामलों में विभागों की ओर से लोक सेवा आयोग से सम्पर्क स्थापित करना
75. अधिवार्षिकी आयु प्राप्त अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाने या उनके पुनर्नियोजन के बारे में सामान्य नीति

76. सिविल पदों पर व्यक्तियों की मानदेय नियुक्ति

प्रशिक्षण

77. शासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति या विदेश में प्रतिनियुक्ति
78. नव नियुक्तों के लिए तथा साथ ही पुनश्चर्या तथा सेवा में प्रशिक्षण की अपेक्षाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना
79. प्रशासन-प्रशिक्षण-आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी से संबंधित विषय
    (क) विभागीय परीक्षाऐं

प्रशासनिक सुधार एवं सतर्कता

80. प्रशासनिक सुधार-संगठन और कार्य पद्धति
81. कर्मचारी निरीक्षण इकाई
82. प्रशासकीय सतर्कता प्रकोष्ठ
83. लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त
84. ऐसे समस्त विभाग एवं उन विभागों के अधीन गठित संस्थाएं, जो निर्माण कार्य कराते हैं, उनके द्वारा किए गए निर्माण एवं निर्माण पद्धतियों पर निगरानी
85. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (22/6/2012 से परिवर्तित) से संबंधित कार्य
86. सरकारी कर्मचारियों में सतर्कता और अनुशासन से संबंधित सभी नीति संबंधी विषय
87. विशेष पुलिस स्थापना
88. जांच आयोग

कर्मचारी कल्याण

89. शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी (सेवा) संघों को मान्यता देना
90. संयुक्त परामर्शदात्री समिति तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक का आयोजन
91. मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के निर्वाचित प्रदेश एवं जिला स्तर कर्मचारी पदाधिकारियों को स्थानांतरण में छूट संबंधी

विविध

92. विभागीय नीति से भिन्न सामान्य नीति संबंधी प्रश्न, जिसमें ऐसे अवशिष्ट विषय सम्मिलित हैं, जो किसी अन्य सूची में न आए हों
93. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अधीन अभियोजन की मंजूरी
    (दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन की मंजूरी

94. स्थानान्तरण नीति
95. गोपनीय चरित्रावली
96. नवनिर्मित जिलों के नवीन पदों का सृजन
97. विभागाध्यक्ष घोषित करने संबंधी कार्य
98. कलेक्टर एवं कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का आयोजन

(2.2) <u>विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम</u>

1. मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम
2. मध्यप्रदेश शासन कार्य नियम
3. मध्यप्रदेश मंत्री, वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1972 और उसके अधीन बनाये गए नियम
4. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954
5. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973
6. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1957
7. मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008
8. मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972
9. मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन बनाये गए नियम
10. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 तथा उसके अधीन बनाये गए नियम
11. मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979
12. जांच आयोग अधिनियम, 1952
13. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
14. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1995
15. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994
16. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998
17. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002
18. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (लोक सेवाओं और पदों में महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997
19. भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985

20. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965
21. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961
22. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966
23. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
24. मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005
25. मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (भारत सरकार द्वारा निर्मित एवं प्रकाशित)
26. मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2018
27. मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम 2011
28. म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013
29. मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012)
30. मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012
31. मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम, 2018

(2.3) विभाग के आयोग एवं कार्यालय

क्र.	आयोग एवं कार्यालय	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	राजभवन सचिवालय	श्री डी.पी. आहूजा	प्रमुख सचिव
		श्री राजेश कुमार कौल	अपर सचिव
2	लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त कार्यालय भोपाल	श्री एन.के.गुप्ता	लोकायुक्त
		श्री यू.सी. माहेश्वरी	उप लोकायुक्त
		श्री सुशील कुमार पालो	उप लोकायुक्त
		डॉ. अरूणा गुप्ता	सचिव
3	मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग	न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन	अध्यक्ष
		श्री मनोहर ममतानी	सदस्य
		श्री सरबजीत सिंह	सदस्य
		श्री शोभित जैन	सचिव
4	मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग	श्री बसंत प्रताप सिंह	राज्य चुनाव आयुक्त
		श्रीमती सुनीता त्रिपाठी	सचिव
5	मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग	श्री अरविंद कुमार शुक्ला	मुख्य सूचना आयुक्त
		श्री डी.पी.अहिरवार	सूचना आयुक्त
		श्री सुरेन्द्र सिंह	सूचना आयुक्त
		श्री राजकुमार माथुर	सूचना आयुक्त
		श्री विजय मनोहर तिवारी	सूचना आयुक्त
		डॉ. अरूण कुमार पाण्डेय	सूचना आयुक्त
		डॉ. गोल्ला कृष्णा मूर्ति	सूचना आयुक्त
		श्री राहुल सिंह	सूचना आयुक्त
		श्री रविन्द्र सिंह	वि.क.अ. सह सचिव
6	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग	श्री भास्कर चौबे	अध्यक्ष (दिनांक 31/12/2020 तक)
		डॉ. राजेश लाल मेहरा	सदस्य एवं दिनांक 01/01/2021 से कार्यवाहक अध्यक्ष
		श्री चंद्रशेखर रायकवार	सदस्य

क्र.	आयोग एवं कार्यालय	अधिकारी का नाम	पदनाम
		डॉ. रमन सिंह सिकरवार	सदस्य
		डॉ. देवेन्द्र सिंह मरकाम	सदस्य
		श्रीमती वंदना वैद्य	सचिव
7	आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल	श्री ए.पी. श्रीवास्तव श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर	महानिदेशक संचालक
8	विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त कार्यालय भोपाल)	श्री संजय राणा	महानिदेशक
9	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल	श्री राजीव कुमार टण्डन	महानिदेशक
10	विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय, भोपाल	(वर्तमान में पद रिक्त)	विभागीय जांच आयुक्त
11	मध्यप्रदेश भवन, नई-दिल्ली	श्री आई. सी. पी. केशरी श्री पंकज राग	आवासीय आयुक्त विशेष आयुक्त
12	मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन, भोपाल	श्री सेवकराम उइके	प्रभारी मुख्य तकनीकी परीक्षक
13	राज्य सत्कार कार्यालय	श्री डी.के. नागेन्द्र	राज्य शिष्टाचार अधिकारी

(2.4) <u>विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम</u>

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा
2. राज्य प्रशासनिक सेवा
3. मध्यप्रदेश मंत्रालयीन सेवा
4. राजभवन, लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त, मुख्य तकनीकी परीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, प्रशासन अकादमी और राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश सूचना आयोग के कार्यालयों से संबंधित सेवा विषय

3. विभाग के महत्वपूर्ण विषय

3.1 मंत्रि - परिषद

(1) प्रदेश मंत्रि-परिषद में 31 सदस्य हैं। इनमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 30 मंत्री हैं।
(2) वर्ष 2020 में विभिन्न विभागों की 13 मंत्रि-परिषद् समितियां गठित/पुर्नगठित की गई तथा 08 मंत्री समूहों का गठन किया गया।

3.2 मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम एवं मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम

राज्य शासन के कार्य के सुविधाजनक संपादन हेतु संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) के तहत निम्नलिखित नियम बनाये गए हैं:-

(1) मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम
(2) मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम

मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम को दिनांक 31/07/2017 एवं मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम को दिनांक 30/11/2018 की स्थिति में अद्यतन किया जाकर प्रकाशित कराया गया।

राज्य शासन का कार्य, कार्य आवंटन नियमों के तहत 69 विभागों में विभक्त था। तात्कालिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 15 विभागों को विलोपित किया गया है, साथ ही 11 विभागों का नाम परिवर्तित भी किया गया है। अतः वर्तमान में 54 विभाग क्रियाशील हैं। विभागों की सूची **परिशिष्ट - दो** पर है।

3.3 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ जबलपुर में एवं खण्डपीठें इन्दौर तथा ग्वालियर में स्थित हैं।

3.4 आर्डर ऑफ प्रेसिडेन्स

विभिन्न शासकीय आयोजनों हेतु पूर्वता अधिपत्र **आर्डर ऑफ प्रेसिडेन्स** का निर्धारण संबंधी अधिसूचना दिनांक 23/12/2011 को जारी की गई।

3.5 मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा

वर्ष 2020 में विभिन्न नियम/आयोग/प्राधिकरणों के 9 अध्यक्षगणों को केबिनेट मंत्री एवं विभिन्न आयोग के 9 सदस्यगणों को राज्यमंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया।

3.6 मंत्रीगण का स्वेच्छानुदान

मंत्रि-परिषद के सदस्यों द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले स्वेच्छानुदान की वार्षिक सीमा निम्नानुसार निर्धारित है:-

मुख्यमंत्री	-	रु. 150 करोड़ *
मंत्री	-	रु. 1 करोड़ **
राज्य मंत्री	-	रु. 60 लाख**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद में ₹110 करोड़ का प्रावधान है।

उपरोक्त वार्षिक सीमा के अध्यधीन नियम के अंतर्गत किसी एक प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अधिकतम रुपये दो लाख, माननीय मंत्री द्वारा **रूपये चालीस** हजार*** एवं माननीय राज्यमंत्री द्वारा रुपये सोलह हजार की राशि स्वीकृत की जा सकती है।

**** मंत्रीगण के जनसम्पर्क दौरे के लिए प्रति विधान सभा क्षेत्र में रुपये दो लाख पचहत्तर हजार के मान से राशि प्रावधानित की गई है जिसमें से जिलों के प्रभारी मंत्री द्वारा दिये गए अनुमोदन के आधार पर जिलाध्यक्ष स्वीकृति जारी करते हैं। इस मद से राशि के व्यय हेतु योजनाओं का चयन प्रभारी मंत्री आवश्यकता एवं औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वविवेक से करते हैं। इस मद के तहत विधान सभा क्षेत्र के लिए आवंटित होने वाली रुपये दो लाख पचहत्तर हजार की राशि में से रुपये पचहत्तर हजार की राशि ऐसे कार्यों के लिए सुरक्षित रहती है, जिसकी अनुशंसा माननीय लोक सभा सांसद द्वारा की जाती है।

* (सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 7-71/2019/एक(1) दिनांक 17/02/2020 द्वारा संशोधित)

** सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-4/2019/एक(1) दिनांक 08/01/2020 द्वारा संशोधित)

*** (सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7-150/2019/एक(1) दिनांक 14/02/2020 द्वारा संशोधित)

**** (सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 8-3/2004/एक(1) दिनांक 10/06/2006 एवं 21/02/2011 द्वारा संशोधित)

माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद वित्तीय वर्ष 2020-21 में
आवंटित एवं व्यय राशि का विवरण
(दिनांक 31/12/2020 की स्थिती में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि	व्यय राशि	कुल आदेश
2020-21	₹90,00,00,000	₹71,67,92,960	1901

माननीय मंत्रीगणों के स्वेच्छानुदान मद से राशि वितरित करने के संबंध में कलेक्टरों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित कलेक्टर द्वारा पूर्व में ई-पेमेंट के माध्यम से संबंधित हितग्राही/संस्थाओं को राशि का भुगतान किया जाता था। अब चैक के माध्यम से भुगतान के निर्देश जारी किए गए हैं।

3.7 पारितोषिक एवं अलंकरण

(1) अशोक चक्र श्रृंखला पुरस्कार

सैनिक तथा असैनिक व्यक्तियों द्वारा अदम्य साहस एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना, नौ सेना, वायु सेना मेडल, मेन्शन इन डिस्पेचेज, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल (विशिष्ट सेवा) एवं विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाते हैं। उक्त शौर्य से सम्मानित सैनिक/असैनिक व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, को राज्य शासन की ओर से नगद अनुदान एवं भूमि के एवज में नगद अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

(2) राज्य स्तरीय वीरतापूर्ण कार्य पुरस्कार

प्राकृतिक संकट में ग्रस्त व्यक्तियों, कुख्यात डाकुओं, असामाजिक तत्वों द्वारा घटित घटना, असामाजिक उपद्रवों तथा किसी प्रकार की दुर्घटना आदि के समय व्यक्ति/व्यक्तियों /जनसमूह के प्राणों की रक्षा करने में वीरता तथा साहस का परिचय देने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को शासन की ओर से नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र दिये जाते हैं। दिये जाने वाले पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. सर्वोत्तम वीरतापूर्ण कार्य	₹25,000/-
2. उत्तम वीरतापूर्ण कार्य	₹15,000/-
3. वीरतापूर्ण कार्य	₹10,000/-

(3) राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप शौर्य राज्य पुरस्कार

विभाग द्वारा प्रदेश के स्थाई निवासी को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर वीरतापूर्ण कार्यों के लिए महाराणा प्रताप शौर्य वीरता पुरस्कार के अंतर्गत रुपये एक लाख केवल का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

(4) संत महापुरुषों के नाम पर पुरस्कार

प्रदेश सरकार ने युवाओं में धर्म निरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बढाने, पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बच्चों के विकास, सामाजिक चेतना, ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एकता एवं मानवता की सेवा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 18 से 35 वर्ष की आयु वाले युवाओं के लिए संत महापुरुषों के नाम पर ₹50,000 - 50,000/- एवं प्रशंसा-पत्र के पांच पुरस्कार निम्नानुसार स्थापित किए गए हैं:-

1. कबीर राज्य सम्मान पुरस्कार
2. शंकराचार्य राज्य सम्मान पुरस्कार

3. गुरुनानक राज्य सम्मान पुरस्कार
4. गौतम बुद्ध राज्य सम्मान पुरस्कार
5. रहीम राज्य सम्मान पुरस्कार

(5) इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक सौहार्द पुरस्कार

राज्य शासन ने अशासकीय संस्था तथा कार्यकर्ता (अशासकीय व्यक्तियों) के द्वारा अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए निर्धारित 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन साम्प्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में श्रेयस्कर कार्य किया हो साथ ही शासकीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पांच पुरस्कार ₹25,000 - 25,000/- एवं प्रशंसा-पत्र के साथ राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जाते हैं।

(6) भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सद्भावना पुरस्कार

राज्य शासन ने प्रदेश के विभिन्न धर्मों/ सम्प्रदायों/ समाजों में व्याप्त कुरीतियों/ कटुता/ वैमनस्य को दूर कर सामाजिक सद्भावना स्थापित करने की दिशा में श्रेष्ठ कार्य करने वाली पंजीकृत संस्था को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से ₹1.00 लाख का भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सद्भावना पुरस्कार स्थापित किया है। यदि पुरस्कार के लिए एक से अधिक संस्थाऐं पात्र होगीं तो पुरस्कार राशि, उनमें बराबर-बराबर वितरित की जावेगी।

(7) सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार

संकल्प 2010 के बिन्दु क्रमांक-68 पर कार्यवाही के तहत शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं शासकीय कार्यों में हर स्तर पर गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें पुरस्कृत करने के लिए संबंधित विभागों में ''सुशील चन्द्र वर्मा उत्कृष्ट पुरस्कार योजना'' लागू की गई है।

(8) मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को पहल, नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य/कार्यों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार व्यक्ति/समूह/संस्था तीनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग पुरस्कार के स्थान पर व्यक्ति (Individual)/दल (Team)/संस्था (Institution) की एक ही श्रेणी में उपयुक्त प्रविष्टियों में प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है। इन पुरस्कारों की दो श्रेणियां एवं राशि निम्नानुसार है:-

1. मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार श्रेणी ''क'' - 10 पुरस्कार (प्रत्येक के लिए पुरस्कार राशि ₹1.25 लाख एवं प्रशस्ति-पत्र) यह पुरस्कार ऐसे प्रतिभागी जिनका कार्यक्षेत्र

सम्पूर्ण प्रदेश, परिक्षेत्र अथवा एक से ज्यादा जिलों में विस्तारित हो, के लिए प्रदान किया जावेगा।

2. मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार श्रेणी ''ख'' - 10 पुरस्कार (प्रत्येक के लिए पुरस्कार राशि ₹1.25 लाख एवं प्रशस्ति-पत्र) यह पुरस्कार ऐसे प्रतिभागी जिनका कार्यक्षेत्र कोई जिला विशेष हो, के लिए प्रदान किया जावेगा।

(9) स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार

स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा की स्मृति में प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके उत्तम कार्य के लिए पुरस्कृत करने के उद्देश्य से ''स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार'' स्थापित किया गया है। उक्त पुरस्कार के अंतर्गत ₹1,00,000/- का प्रावधान है।

(10) प्रादेशिक सैनिकों को पुरस्कार

प्रदेश के प्रादेशिक सेना अलंकरण एवं प्रादेशिक सेना मेडल से सम्मानित सैनिकों को पुरस्कृत होने पर राज्य शासन की ओर से क्रमशः ₹5,000/- एवं ₹3,000/- नगद पुरस्कार स्वीकृत किए जाते हैं।

3.8 प्रादेशिक सेना दिवस हेतु अनुदान

प्रादेशिक सेना सागर/महू को प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाये जाने वाले प्रादेशिक सेना दिवस के आयोजन हेतु इस विभाग द्वारा नगद अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

3.9 अन्तर्विभागीय समिति

अन्तर्विभागीय समिति के गठन के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक 47 अन्तर्विभागीय समितियों के गठन के आदेश जारी किए गए हैं।

3.10 सड़क दुर्घटना में घायलों को आर्थिक सहायता अनुदान

विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवारजनों तथा घायलों को जिलाध्यक्ष के माध्यम से आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। मृतकों के परिवार को अधिकतम ₹15,000/- एवं गंभीर घायलों को ₹7,500/- की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।

सहायता हेतु ग्लोबल बजट घोषित किया जा चुका है। कलेक्टर स्वयं राशि आहरित कर रहे हैं।

3.11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान निधि नियम, 1972 की कंडिका-2 के अंतर्गत जिन्होंने आजादी की लड़ाई में वर्ष 1919 से 1946 तक की अवधि के दौरान भाग लिया है, ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया जाता है एवं नियम 3 की पूर्ति करने वालों को सम्मान निधि भी स्वीकृत की जाती है। साथ ही राज्य शासन को प्राप्त केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रस्तावों का परीक्षण कर केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है एवं आजादी की लड़ाई वर्ष 1919 से 1946 के बाद के भी कतिपय आंदोलनों यथा भूतपूर्व भोपाल राज्य सन् 1949 मे हुए गोलीकांड, गोवा मुक्ति आंदोलन, 15 अगस्त, 1955 में भाग लेने वालों को भी सम्मान निधि स्वीकृति का प्रावधान है। प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं -

1. राज्य शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वर्तमान में ₹25,000/- प्रतिमाह दिनांक 12/04/2016 से राज्य सम्मान निधि की गई है।
2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रकरण भी राज्य शासन द्वारा अनुशंसा सहित, भारत सरकार, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं।
3. राज्य सम्मान निधि प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का स्वर्गवास होने पर उनकी अन्त्येष्टि आदि के लिए ₹4,000/- की आर्थिक सहायता राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाती है।
4. राज्य सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा निम्नांकित सुविधायें राज्य सम्मान निधि तथा केन्द्रीय सम्मान निधि पाने वाले सेनानियों को दिए जाने के निर्देश है:-
    - मृत सेनानी के परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में प्राथमिकता
    - सेनानी के पुत्र- पुत्रियों के लिए कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश।
    - प्रदेश के सेनानियों के लिए शासकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा सहायता एवं उपचार।
    - सेनानी के पुत्र-पुत्रियों को मेडिकल कालेज में स्थान आरक्षण की सुविधा।
    - सेनानी के पौत्र एवं पौत्रियों के लिए इंजिनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आरक्षण।
    - सेनानी के पुत्र एवं पौत्रों के लिए शासकीय महाविद्यालयों में समस्त पॉलीटेकनिक तथा उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालयों एवं कला निकेतन, जबलपुर की उच्चतर माध्यमिक तकनीकी पाठ्यक्रम एवं प्रिंटिंग टेक्नालॉजी पत्रोपाधि में प्रवेश हेतु आरक्षण।
    - सेनानियों की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के समय सम्मान देने हेतु शासन का प्रतिनिधित्व।

- मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा विकसित भू-खण्डों एवं निर्मित भवनों का आवंटन आरक्षण।
- मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक चिकित्सा सहायता अनुदान नियम, 1986 में दिनांक 27/11/2017 को किए गए संशोधन अनुसार ₹50,000/- तक चिकित्सा सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर अधिकृत होंगे, ₹50,000/- से अधिक एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न गंभीर रोगों के उपचार हेतु निर्धारित शासकीय दरों की सीमा तक राशि के चिकित्सा अनुदान के प्रकरणों के स्वीकृति के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त को होंगे।
- राज्य सेनानियों को निःशुल्क डेंचर, चश्मा तथा श्रवण यंत्र दिये जाने की सुविधा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान निधि, चिकित्सा सुविधा आदि के लिए वर्ष 2020-2021 के लिए कुल राशि ₹24 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

मध्यप्रदेश स्वतंत्रा संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972 तथा दिसम्बर, 2011 तक संशोधित नियमों तथा संबंधित आदेशों/निर्देशों का संकलन कर प्रकाशन जनवरी, 2015 में किया गया।

3.12 मीसा/डीआईआर में निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान निधि

(1) मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम, 2018 के अंतर्गत ऐसे लोकतंत्र सेनानी जो एक माह से कम कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों, उन्हें ₹8,000/- प्रतिमाह तथा ऐसे लोकतंत्र सेनानी जो एक माह या एक माह से अधिक की कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों, उन्हें ₹25,000/- प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि की पात्रता होगी।

(2) लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि/चिकित्सा सुविधा आदि के लिए वर्ष 2020-2021 के लिए कुल राशि ₹80 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

(3) दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की पत्नी/पति को सम्मान निधि का अंतरण एक माह में हो जाये, इस हेतु परिपत्र दिनांक 03/07/2017 को समस्त कलेक्टरों को जारी किया गया है।

(4) लोकतंत्र सेनानी, जो सम्मान निधि नहीं लेना चाहते हैं, को भी सभी शासकीय कार्यालयों में उचित सम्मान दिया जाकर उन्हें स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस/मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एवं अन्य राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर आमंत्रित किया जाकर उन्हें उचित सम्मान दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु परिपत्र समस्त कलेक्टरों को दिनांक 07/07/2017 को जारी किया गया है।

(5) मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2018 बनाया गया है, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 09 अगस्त, 2018 को किया गया है।

(6) मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम, 2018 बनाये गये हैं। जिनका प्रकाशन राजपत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को किया गया है।

3.13 कार्मिक नीति

(1) दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थाई कर्मियों में विनियमित करने के पश्चात सेवा पुस्तिका बनाए जाने के संबंध में निर्देश दिनांक 18 फरवरी 2020 को जारी किए गए।

(2) प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के समेकित परीक्षा पद्धति के संबंध में संशोधन संबंधी निर्देश दिनांक 26 फरवरी 2020 को जारी किए गए।

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के 62वे वार्षिक प्रतिवेदन में विभागों द्वारा आयोग को भेजे जाने वाले प्रकरणों में कमियों को दूर करने संबंधी निर्देश दिनांक 02 मार्च 2020 को जारी किए गए।

(4) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 दिनांक 05 जून 2018 के परिप्रेक्ष्य में संविदा पर मासिक पारिश्रमिक निर्धारण हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किए जाने के संबंध में निर्देश दिनांक 22 जुलाई 2020 को जारी किए गए।

(5) मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) नियम, 2013 के निर्देशों के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अधीन भरे जाने वाले पदों को छोड़कर शेष पदों पर विभागों द्वारा पृथक से अपने स्तर से भर्ती न करने संबंधी निर्देश दिनांक 26 सितंबर 2020 को जारी किए गए।

(6) शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दिनांक 29 सितंबर 2014 में आंशिक संशोधन संबंधी निर्देश दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को जारी किए गए।

(7) सी.एम. सिटीजन केयर (181) के माध्यम से सेवा क्रमांक 6.1 कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का आवेदन दर्ज कर सेवा प्रदाय किए जाने के निर्देश दिनांक 23 दिसम्बर 2020 को जारी किए गए।

(8) सी.एम. सिटीजन केयर (181) के माध्यम से सेवा क्रमांक 6.2 कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र का आवेदन दर्ज कर सेवा प्रदाय किए जाने के निर्देश दिनांक 23 दिसम्बर 2020 को जारी किए गए।

(9) परिपत्र क्रमांक एफ 15-01/2014/1-10, दिनांक 26/12/2020 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में धारा 17-ए जोड़े जाने के फलस्वरूप पुलिस अधिकारी द्वारा लोक सेवकों (शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी) के विरूद्ध जांच या पूछताछ या अन्वेषण करने हेतु पूर्वानुमति जारी करने की प्रक्रिया बाबत् निर्देश जारी किए जाए।

<u>लोक सेवा गारंटी</u>

जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी विषय लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत शामिल करते हुए इसकी प्रक्रिया ऑनलाईन कर डिजिटल हस्ताक्षर से जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों के छात्र-छात्राओं को स्कूलों के माध्यम से ही आवेदन पत्र लेकर डिजिटाईल लेमिनेटेड जाति प्रमाण पत्र स्कूलों में ही वितरित करने के संबंध में एक विशेष अभियान दिनांक 01 जुलाई, 2014 से प्रारंभ किया गया है। उक्त अभियान की तिथि बढ़ाकर 30 जून, 2021 निर्धारित की गई है। जाति प्रमाण पत्र के प्रदाय हेतु दिनांक 22 जनवरी, 2021 तक 01 करोड़ 26 लाख 69 हजार 482 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 01 करोड़ 26 लाख 66 हजार 645 आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया है।

दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत **सेवा क्रमांक 6.1** - कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में कुल 18,68,932 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 18,59,625 आवेदन-पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। **सेवा क्रमांक 6.2** - कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में कुल 14,72,811 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 14,68,787 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। **सेवा क्रमांक 6.3 ए** - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कुल 3,41,408 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 3,14,727 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। **सेवा क्रमांक 6.3 बी** - अन्य पिछडे वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कुल 2,70,769 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 2,49,370 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। **सेवा क्रमांक 6.3 सी** - विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कुल 3,364 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 3,212 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। **सेवा क्रमांक 6.4** - राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय एवं ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि का प्रदाय करने के संबंध में कुल 386 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 383 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। **सेवा क्रमांक 6.5** - हस्तलिखित मेनुअल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/घुमक्कड़ एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति जारी करने के संबंध में कुल 2,47,081 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 2,44,581 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। **सेवा क्रमांक 6.6** - ऐसे नागरिक जिसके परिवार के किसी सदस्य (पिता/भाई/बहन) को पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, को जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय करने के संबंध में कुल 88,083 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 84,147 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है।

3.14 आरक्षण

(1) आरक्षण प्रकोष्ठ के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, निशक्तजनों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए लोक सेवाओं एवं पदों में आरक्षण का निर्धारण, उनके क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी नीति के निर्धारण का कार्य सम्पादित किया जाता है।

(2) राज्य की लोक सेवा एवं पदों में अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा सीधी भरती प्रक्रम में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (वन विभाग को छोड़कर) (हॉरिजेण्टल एवं कम्पार्टमेन्ट), नि:शक्तजनों के लिए द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए 06 प्रतिशत (हॉरिजेण्टल) एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी में 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत हॉरिजेण्टल आरक्षण का प्रावधान है।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों व नि:शक्तजनों के आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान निरंतर जारी है।

3.15 लेखा शाखा

मंत्रालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं शासकीय भुगतानों की गणना/आयकर कटोत्रा एवं विभाग का त्रैमासिक व वार्षिक ईटीडीएस रिटर्न व फार्म-16 समय-सीमा में प्रेषित किया गया।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) के अन्तर्गत समस्त शासकीय सेवकों के यूनिक एम्पलाई कोड बनाकर वेतन, भत्ते आदि का ई-भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह मंत्रालय में कार्यरत अशासकीय व्यक्तियों एवं सामग्री प्रदायकर्ताओं को वेन्डर कोड द्वारा ई-भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। इस तरह मंत्रालय में लगभग कैशलेस व्यवस्था लागू है।

3.16 कर्मचारी कल्याण

(1) शासकीय सेवकों की समस्याओं का आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से समाधान करने के लिए शासन द्वारा राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री/विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति गठित की गई है, इन समितियों की बैठक कैलेण्डर वर्ष में चार बार अर्थात तीन माह में एक बार आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं।

(2) सामान्य प्रशासन विभाग, शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन के आदेश क्रमांक एफ 05-04/2019/1/15/क.क. दिनांक 08/03/2019 द्वारा प्रदेश के विभिन्न शासकीय कर्मचारी संघों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में की गई हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश/अन्य देय अवकाश स्वीकृत करने अनुमति प्रदान की गई है।

3.17 कार्य नीति

स्थानान्तरण नीति

प्रतिवर्ष शासन द्वारा राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानांतरित किए जाने हेतु नीति बनाई जाती है। वर्ष 2019-2020 के लिये दिनांक 04 जून, 2019 को स्थानांतरण नीति जारी की गई है। वर्ष 2019-2020 के लिये स्थानांतरण करने हेतु दिनांक 05 जून, 2019 से 05 जुलाई, 2019 की अवधि के लिए प्रतिबंध शिथिल किया गया था।

स्थानान्तरण प्रकोष्ठ

रिट पिटीशन क्रमांक 5260/2004 डॉ. जगतसिंह परिहार विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में मान. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के पालन में ''स्थानान्तरण नीति'' के विरुद्ध किए गए स्थानान्तरणों से संबंधित अभ्यावेदनों के निराकरण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत स्थानांतरण प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार स्थानांतरण के विरूद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग एवं प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जाता है।

शासन द्वारा जारी ''स्थानांतरण नीति 2019-2020'' के विरुद्ध स्थानांतरण प्रकोष्ठ (सामान्य प्रशासन विभाग) में विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर 17 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 04 अभ्यावेदनों का निराकरण किया जा चुका है एवं 13 अभ्यावेदनों पर कार्यवाही प्रचलित है।

गोपनीय प्रतिवेदन

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के संबंध में चैनल निर्धारित करने की कार्यवाही की जाती है एवं प्रतिवेदन लिखने के संबंध में नियमानुकूल मार्गदर्शन दिया जाता है।

3.18 निरीक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 06/09/2004 द्वारा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त एवं समस्त कलेक्टर को निरीक्षण करने हेतु निर्देश जारी किए गए।

संभागीय आयुक्त मुख्यालय से बाहर कम से कम 5 रात्रि तथा जिला कलेक्टर 3 रात्रि विश्राम करेंगे। आयुक्त अपने अधिनस्थ प्रत्येक जिला कार्यालय का वर्ष में एक बार तथा

कलेक्टर अपने अधीनस्थ तहसील कार्यालयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करेंगे। विभागाध्यक्षों द्वारा प्रतिमाह कम से कम 5 दिवस अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश हैं।

राजस्व मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा कमिश्नर, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसील न्यायालयों के निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

3.19 <u>प्रशासनिक सुधार</u>

(1) अधिकारियों द्वारा मासिक डायरी का संधारण

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों/संभागायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षकों को निर्धारित प्रारूप में मासिक डायरी का संधारण ऑनलाइन द्वारा किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मासिक डायरी में अधिकारियों द्वारा माह में अपने प्रभार के विभाग में जो भी प्रमुख निर्णय लिए गए हों अथवा प्रमुख कार्य किए गए हैं उनका विभागवार उल्लेख किए जाने के निर्देश हैं।

(2) कलेक्टर कॉफ्रेंस

प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कलेक्टर कॉफ्रेंस का आयोजन किया जाता है।

(3) मंत्रालय में ई-ऑफिस परियोजना का क्रियान्वयन

शासकीय अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कार्यालयों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करने, कार्य की गति को सुधारने, पारदर्शिता को बढावा देने, कार्यालयों को कागजरहित और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद समिति की बैठक दिनांक 05/02/2018 में अनुमोदन पश्चात मध्यप्रदेश मंत्रालय में ई-ऑफिस की कार्यप्रणाली 02/04/2018 से लागू की गई है।

इसी प्रकार मंत्रालय में प्रचलित ई-ऑफिस की प्रक्रिया प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय/जिला कार्यालय में लागू करने हेतु आदेश दिनांक 28 जून 2019 द्वारा क्रमशः विभागाध्यक्ष एवं संभाग/जिला कार्यालय में दिनांक 02/10/2019 एवं 31/12/2019 से ई-ऑफिस प्रक्रिया लागू करने के निर्देश जारी किए गए।

(4) प्रभारी सचिव

विभागीय परिपत्र दिनांक 26/06/2019 द्वारा जिलों की समस्याओं के निराकरण एवं शासन की योजनाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए शासन ने जिलों में प्रभारी सचिवों की व्यवस्था लागू करने हेतु निर्देश जारी किए हैं। इस निर्णय के क्रम में अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिवों व समकक्ष अधिकारियों को जिले आवंटित किए गए हैं।

विभागीय परिपत्र क्र. एफ 11-18/2019/1-9, दिनांक 19/11/2019 में यह निर्देश जारी किए गए हैं कि एन.आई.सी. द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर प्रभारी सचिव भ्रमण उपरांत अपना निरीक्षण प्रतिवेदन दर्ज करेंगे।

(5) आपकी सरकार आपके द्वार

ग्रामीण अंचलों में रहने वाली आम जनता की समस्याओं के हल एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आपकी सरकार आपके द्वार के संबंध में विभागीय परिपत्र दिनांक 06/07/2019 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें प्रशासन और शासन को ग्रामीण नागरिकों के और करीब ले जाना एवं प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

3.20 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

राज्य शासन द्वारा सरकार की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढाने तथा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किए गए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/08/2005 द्वारा मध्यप्रदेश सूचना आयोग का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005 बनाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारियों को नामांकित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही विभाग द्वारा विभागीय जानकारी पर आधारित 17 बिंदुओं का मैन्युअल वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग एवं कार्मिक के लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों को निम्नानुसार आवेदन पत्र प्राप्त हुए:-

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित आवेदनों की संख्या

प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या (सामान्य प्रशासन विभाग) दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020	आवेदन पत्रों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई है। दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020	कार्यवाई प्रचलित
974	968	06

प्रथम अपील प्रकरणों की संख्या

प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या (सामान्य प्रशासन विभाग) दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020	निराकृत अपील दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020	कार्यवाई प्रचलित
184	180	04

कार्मिक से संबंधित प्राप्त आवेदनों संख्या

प्राप्त कार्मिक से संबंधित आवेदन पत्रों की संख्या दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020	आवेदन पत्रों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई है। दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020	कार्यवाई प्रचलित
158	147	11

कार्मिक से संबंधित प्रथम अपील प्रकरणों की संख्या

प्राप्त अपीलों की संख्या दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020	निराकृत अपील दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020	कार्यवाई प्रचलित
33	30	03

3.21 संसदीय कार्य

वर्ष 2020 (जनवरी-दिसम्बर) तक विधान सभा के दो सत्र आयोजित हुये। वर्ष 2019-20 के नवगठित विधानसभा सत्र के लिए माननीय राज्यपाल का अभिभाषण तैयार कराया गया तथा सामान्य प्रशासन विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर विधानसभा के पटल पर रखा गया।

3.22 मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ

मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के राज्य संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों का म.प्र./छ.ग. अंतिम राज्य आवंटन की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की गई है। भारत सरकार द्वारा एक्ट के तहत मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ को कार्य समन्वय/संपादन हेतु नोडल ऑफिस घोषित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश दिनांक 17/04/2007 के तहत, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार हेतु राज्य सलाहकार समिति गठित की गई। समिति की 28वीं एवं अंतिम बैठक दिनांक 06/03/2019 को मंत्रालय, भोपाल में सम्पन्न हुई थी। समिति द्वारा मुख्यतः निर्णय लिये गये थे :-

- ¾ कटऑफ डेट दिनांक 31/03/2018 से आगे 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को यथावत राज्य में रखा जाए।
- ¾ समिति को वाइंड-अप कर, न्यायालयीन प्रकरणों एवं अभ्यावेदनों पर, भारत सरकार द्वारा केस-टू-केस प्रकरणों का निराकरण।

संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में, दिनांक 21/10/2020 वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा राज्य आवंटन से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण एवं अभ्यावेदनों पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें म.प्र./छ.ग. सामान्य प्रशासन विभाग एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। संबंधित विभागों से प्रकरणों पर चर्चा की जाकर निर्णय लिया गया कि दिनांक 21/10/2020 से आगे 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को यथावत राज्य में रखा जावे, जिस पर दोनों राज्य शासनों के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में सहमति व्यक्त की गई। इस प्रकार लगभग 54 राज्य आवंटन के न्यायालयीन प्रकरणों/अभ्यावेदनों पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के तहत राज्य आवंटन के प्रकरणों पर विचार किया गया।

भारत सरकार से प्राप्त राज्य आवंटन के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों/अभ्यावेदनों पर विभिन्न संबंधित विभागों से वांछित जानकारी भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु समन्वय/संपादन कार्य किया जा रहा है।

3.23 मध्यप्रदेश मंत्रालय पुस्तकालय तथा अभिलेखागार

मध्यप्रदेश मंत्रालय पुस्तकालय को निम्न दो भागों में विभक्त किया गया है -

(1) **अधिकारी पुस्तकालय** (Officers' Library) :- इसमें हर विषय की पुस्तकें संकलित की गई है।

(2) **संदर्भ पुस्तकालयः**- इसमें अधिनियम (Acts), संहिता (Codes), नियमावली (Manual Gazette & Gazetteer, Census), रिपोर्टस आदि शासकीय एवं अशासकीय कामकाज के प्रकाशन उपलब्ध है जो विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं।

मंत्रालय पुस्तकालय में लगभग 27694 पुस्तकें एक्सेशन रजिस्टर में दर्ज हैं। 1971 के बाद क्रय की गई पुस्तकों का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन किया जाता है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त गजट, रिपोर्ट, सेन्सस, पुराने गजेटियर जैसे इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जजमेन्ट, ए.आई.आर. (A.I.R.), सुप्रीम कोर्ट केसेज, 1997 से अब तक के बजट, समय-समय पर प्रकाशित होने वाले विनियोग लेखे एवं विभागों से आए हुए प्रतिवेदनों का संकलन उपलब्ध है।

(3) **उप पुस्तकालय** -

मंत्रालय में गजट, मध्य प्रदेश 1956 से 1980, भारत गजट 1956-1980, सेन्सस, इन्साक्लोपिडिया तथा प्राचीन पुस्तकों का संकलन उपलब्ध है। समय-समय पर बाहर से आए हुए शोधार्थियों की मांग पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

(4) **मंत्रालय पुस्तकालय के अधीनस्थ अभिलेखागार कक्ष -**

पुस्तकालय एवं अभिलेख शाखा के अन्तर्गत दो अभिलेख कक्ष निम्नानुसार है-

(क) विन्ध्याचल भवन में विभिन्न विभागों द्वारा 5 साल से अधिक पुरानी नस्तियों को सीधे विन्ध्याचल स्थित अभिलेख कक्ष में भेजा जाता है। इस कक्ष की क्षमता दस लाख नस्तियां रखने की है।

(ख) मंत्रालय अभिलेख कक्ष में सेन्ट्रल प्रोविन्सेज के अभिलेख जैसे, महाकौशल स्टेट, विन्ध्य प्रदेश स्टेट, रीवा स्टेट 1918, 1920 से 1956 तक की अवधि के अभिलेख उपलब्ध है। इस अभिलेख कक्ष में शोधार्थियों को शोध की सुविधाएं प्रदान की जाती है। शोधार्थियों से ₹1500.00 सुरक्षा निधि के रूप में लिए जाते हैं।

(5) **मंत्रालय पुस्तकालय का बजट व व्यय -**

पुस्तकालय हेतु आयोजना मद में राशि ₹4,62,000/- (रुपये चार लाख बासठ हजार केवल) आवंटित की जाती हैं।

3.24 <u>स्थापना सम्बन्धी कार्य</u>

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा

(क) मध्यप्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनरीक्षण भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30/12/2016 द्वारा किया गया जिसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा की कुल प्राधिकृत संख्या 439 नियत की गई है। इसमें सीधी भरती के 306 तथा पदोन्नति/चयन द्वारा नियुक्ति के लिए 133 पद स्वीकृत किए हैं। वर्तमान में सीधी भरती के 248 तथा पदोन्नति/चयन द्वारा नियुक्त 115 अधिकारी इस प्रकार कुल 362 अधिकारी कार्यरत हैं।

(ख) चयन सूची 2019 के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक दिनांक 10/09/2020 को संपन्न हुई। भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 06/11/2020 से राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 18 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति से नियुक्ति प्रदान की गई।

(ग) वर्ष 2020 (01/01/2020 से 31/12/2020 तक) में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के निम्नानुसार पदोन्नति आदेश जारी किए गए:-

आवंटन वर्ष	पदोन्नत अधिकारियों की संख्या	वेतनमान
2017	13	वरिष्ठ समय वेतनमान
2012	33	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड
2008	21	प्रवर श्रेणी वेतनमान
2005	03	अधिसमय वेतनमान
1990	04	मुख्य सचिव ग्रेड

(घ) भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (परफारमेन्स एप्रेजल रिपोर्ट) की ई-फाईलिंग की व्यवस्था लागू की गई है। वर्ष 2019-20 (01/04/2019 से 31/03/2020) के गोपनीय प्रतिवेदन (परफारमेन्स एप्रेजल रिपोर्ट) ऑन लाईन लिखे जाने के लिए सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के PAR प्रपत्र कम्प्यूटर में तैयार कर संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर स्वमूल्यांकन करते हुए निर्धारित चैनल अनुसार अपने प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को समय-समय पर PAR online एवं मैन्युअली भेजकर मतांकन की कार्यवाही पूर्ण कराई गई एवं मतांकन की कार्यवाही पूर्ण होने पर संबंधित अधिकारी को online PAR Disclose किए गए। अखिल भारतीय सेवा (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियम, 2007 एवं संशोधन नियम, 2017 दिनांक 15/06/2017 तथा PAR से संबंधित भारत सरकार के नियम/निर्देशों के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के वर्षान्त 2020-2021 (01/04/2020 से 31/03/2021) की अवधि के PAR online जनरेट किए जा रहे हैं।

(ङ) मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III में 12 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया। इंडक्शन ट्रेनिंग में मसूरी 11 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण में भेजा गया।

(च) e-office कार्यप्रणाली के अंतर्गत मध्यप्रदेश संवर्ग में पदस्थ समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/मानव अधिकार आयोग/अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान/राज्य निर्वाचन आयोग/लोकायुक्त/राज्य सूचना आयोग के कार्यालय को छोड़कर) के अवकाश प्रवास संबंधी प्रकरण e-office के माध्यम से स्वीकृत किए जा रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले मूल आवेदन एवं प्रथम अपील की समस्त नस्तियां भी e-office के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पासपोर्ट हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

तथा परिचय पत्र के आवेदन ऑन लाईन e-office के माध्यम से प्राप्त कर उनके निराकरण करने की व्यवस्था स्थापित की गई है।

(ज) कैलेण्डर वर्ष 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 में निम्नानुसार उल्लेखनीय कार्य किए गए:-

1) दिनांक 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की स्थिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 27 अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं। आलोच्य अवधि में 04 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जाँच लंबित है, जिनके संबंध में प्रोविजनल पेंशन स्वीकृति दी गई है। विभागीय जाँच समाप्त होने पर पेंशन प्रकरण निराकरण हेतु महालेखाकार ग्वालियर, म.प्र. को भेजा जा सकेगा। आलोच्य अवधि में उपरोक्त 04 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को छोडकर शेष 23 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पेंशन प्रकरण का निराकरण किया गया है।

2) दिनांक 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि में मध्यप्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से संबंधित 02 विभागीय, 02 कारण बताओ सूचना पत्र, 03 स्पष्टीकरण इत्यादि के कुल 07 प्रकरणों का निराकरण किया गया। 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से संबंधित 46 शिकायतों का निराकरण किया गया।

3) दिनांक 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि में मध्यप्रदेश संवर्ग में आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीधी भर्ती के नवनियुक्त अधिकारियों के नियमानुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही की गयी। राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त हुए अधिकारियों की पदोन्नति दिनांक से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियमानुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही की गयी एवं तदानुसार वेतन भुगतान हेतु वेतन प्राधिकार पर्चियाँ जारी करने की कार्यवाही की गयी। उपरोक्त के अलावा आलोच्य अवधि में समय-समय पर स्थानांतरित हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की नवीन पदस्थापना हेतु वेतन प्राधिकार पर्चियॉ जारी की गयी तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को स्वीकृत किए गए वरिष्ठ समय वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, अधिसमय वेतनमान, प्रमुख सचिव वेतनमान एवं मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति के फलस्वरूप नियमानुसार वेतन निर्धारण कर वेतन प्राधिकार पर्चियां जारी करने की कार्यवाही की गई।

4) दिनांक 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन अचल संपत्ति विवरण नियमानुसार यथासमय प्रस्तुत किए गए। सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के अचल संपत्ति विवरण पत्रक वेबसाईट http://sparrow.eoffice.gov.in तथा www.gad.mp.gov.in पर प्रदर्शित रहते हैं।

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा

1. सीधी भर्ती/पदोन्नति

राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के कुल स्वीकृत पद	-	873
कुल स्वीकृत पदों में से पदोन्नति के पद	-	437
कुल स्वीकृत पदों में से सीधी भर्ती के पद	-	436
वर्ष में पदोन्नति से भरे हुए पद	-	01
वर्ष में सीधी भर्ती से भरे पद (लोक सेवा आयोग से चयन सूची अप्राप्त)	-	निरंक

2. विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही

कुल प्रकरण	-	93
वर्ष में निराकृत प्रकरण	-	28

3. न्यायालयीन प्रकरण

कुल लंबित प्रकरण	-	130
वर्ष में निराकृत प्रकरण	-	14

4. पेंशन प्रकरण

कुल लंबित पेंशन प्रकरण	-	65
विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण के कारण लंबित पेंशन प्रकरण	-	32
निराकृत प्रकरण	-	13

5. अचल संपत्ति विवरण

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अचल संपत्ति विवरण ऑनलाईन किए जाने की व्यवस्था लागू किए जाने के उपरांत दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की

स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के द्वारा अचल संपत्ति विवरण ऑनलाईन प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6. क्रमोन्नति

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक अधिसमय वेतनमान/वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान/प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति के लिए उपयुक्तता निर्धारण हेतु गठित विभागीय चयन समिति की बैठक में पात्र अधिकारी की जानकारी निम्नानुसार हैं:-

1. अधिसमय वेतनमान	निरंक
2. वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान	निरंक
3. प्रवर श्रेणी वेतनमान	10
4. वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान	12

7. पदक्रम सूची का प्रकाशन

दिनांक 01/04/2020 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की फोटोयुक्त पदक्रम सूची का प्रकाशन किया गया तथा उसे सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

8. प्रशिक्षण

कोविड-19 के कारण प्रशिक्षण आयोजित नही किए जा सके।

9. गोपनीय प्रतिवेदन

राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों के वर्ष 2019-20 के गोपनीय प्रतिवेदन को ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) जनरेट किया गया। जिसके माध्यम से समस्त राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियो के वर्षान्त 2019-20 के PAR Online प्रस्तुत किए गए।

10. भर्ती

वर्ष 2020 के लिए डिप्टी कलेक्टर्स की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव/मांग पत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है।

11. पदोन्नति

विभागीय आदेश क्र. बी-1/55/2016/2/एक, दिनांक 11/05/2020 द्वारा श्री मनोज चौरसिया तहसीलदार को उप जिलाध्यक्ष के पद पर न्यायालय निर्णय अनुसार पदोन्नति दी गई है।

12. राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति

चयन वर्ष 2019 के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में 18 अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है।

(3) मंत्रालयीन (राजपत्रित) अधिकारियों की स्थापना

मंत्रालयीन सेवा के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की सम्पूर्ण स्थापना का सम्पूर्ण कार्य संपादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय में गैर सचिवालय सेवा के अधिकारियों एवं माननीय मंत्रीगणों की निजी स्थापना में विशेष सहायक एवं निज सचिव (वरिष्ठ वेतनमान) की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही भी इस कक्ष द्वारा की जाती है।

1. पदोन्नति

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पदोन्नति नियम, 2002 अपास्त किए जाने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावशील होने के कारण वर्तमान में पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित है।

2. पदक्रम सूची का प्रकाशन

मध्यप्रदेश मंत्रालय के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की दिनांक 01/04/2020 की स्थिति में फोटोयुक्त पदक्रम सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की गई।

3. विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण

मंत्रालय सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच के 14 प्रकरण एवं आपराधिक 04 प्रकरण प्रचलित हैं। सभी प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

4. न्यायालयीन प्रकरण

विगत वर्ष में 09 न्यायालयीन प्रकरण थे। सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें आगे सतत कार्यवाही प्रचलित है।

5. पेंशन प्रकरण

माह जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में कुल 32 अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं। जिनमें से 02 अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए हैं। 08 अधिकारियों के पेंशन प्रकरण का अंतिम निराकरण हो चुका है। शेष प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही IFMS के माध्यम से प्रचलित है।

6. चल/अचल सम्पत्ति विवरण पत्रक

मंत्रालय सेवा के प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के दिनांक 31/12/2020 की स्थिति में अचल सम्पत्ति विवरण पत्रक ई-फाईलिंग के माध्यम से online प्रस्तुत करने के निर्देश दिनांक 01/01/2021 को जारी किए गए।

7. मंत्रालयीन प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को प्रदाय किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कोविड-19 के कारण अधिकारियों के प्रशिक्षण आयोजित नही किए जा सके।

(4) मंत्रालयीन (अराजपत्रित) कर्मचारियों की स्थापना

1. पदोन्नति

पदोन्नति में आरक्षण संबंधी प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण माह मई, 2016 से पदोन्नति संबंधी कार्यवाही स्थगित है। वर्ष 2020 में कुल 22 शासकीय सेवकों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।

2. नियुक्ति

मध्यप्रदेश मंत्रालय में सीधी भरती हेतु प्रोफेशनल इग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के माध्यम से चयन परीक्षा आयोजित करा कर आवश्यकता अनुसार योग्य उम्मीदवारों का चयन कर नियुक्ति दी जाती है। वर्ष 2020 में सीधी भर्ती के माध्यम से पदों की पूर्ति नही हुई है। सहायक ग्रेड-3 के 06 पदों की पूर्ति अनुकंपा के आधार पर की गई है।

3. प्रशिक्षण

वर्ष 2020 मे 03 मंत्रालयीन कर्मचारियों को आनंद शिविर कार्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया।

4. पदक्रम सूची का प्रकाशन

दिनांक 01/04/2019 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची बनाकर वेबसाईट पर जारी की गई।

5. विभागीय एवं आपराधिक प्रकरण

मंत्रालयीन सेवा के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के विरूद्ध 04 आपराधिक प्रकरण (02 सेवानिवृत्त, 02 कार्यरत) एवं 05 विभागीय जांच के प्रकरण प्रचलित हैं।

6. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण

01 जनवरी 2020 में 02 कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, 05 कर्मचारियों का स्वर्गवास तथा 38 कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के कारण कुल 45 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण तैयार किए गए।

7. चल-अचल संपत्ति विवरण पत्रक

मंत्रालय सेवा के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के दिनांक 31/12/2019 की स्थिति में अचल संपत्ति विवरण पत्रकों को वेबसाईट पर शासकीय सेवकों द्वारा अपलोड किया जा चुका है। दिनांक 31/12/2020 के अचल संपत्ति विवरण पत्रकों को वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही हेतु ज्ञापन जारी किया गया है।

(5) अधीक्षण शाखा (चतुर्थ श्रेणी - स्थापना)

1. सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण शाखा द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थापना, मंत्रालय की साफ-सफाई, देख-रेख/रख-रखाव तथा मशीन उपकरण एवं स्टेशनरी/फर्नीचर के क्रय संबंधी आदि कार्य, मंत्रीगण/अधिकारीगण के कक्षों की साज-सज्जा/सिविल/विद्युत/जल/सुरक्षा व्यवस्था आदि कार्य सम्पादित किए जाते हैं।

2. मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुल 635 पद स्वीकृत हैं।

3. वर्ष 2020 में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में मंत्रालय के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों में 03 को भृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई।

4. वर्ष 2020 में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में 18 कर्मचारी सेवानिवृत्त एवं 05 कर्मचारी दिवंगत हुए। जिनमें 09 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।

5. वर्ष 2020 में मंत्रालय के भा.प्र.से./अधिकारियों एवं शासकीय सेवकों-तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी के 1300 स्थाई मंत्रालय प्रवेश-पत्र बनाये गए।

6. 02 अक्टूबर, 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मंत्रालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जो निरंतर जारी है।

7. मध्यप्रदेश स्थापना दिवस (01 नवम्बर, 2020) समारोह के उपलक्ष्य में मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन नही किया गया।

8. आतंकवादी हिंसा में मारे गए परिवार के बच्चों की सहायता हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर मंत्रालय में दिनांक 19-25 नवम्बर, 2020 तक साम्प्रदायिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया, जिसमें दान स्वरूप प्राप्त राशि ₹18,126/- साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजी गई।

9. प्रतिमाह वंदे मातरम् गान का आयोजन कोविड-19 के कारण कुछ समय तक स्थगित रखा गया तथा कोविड-19 के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए ही अन्य कार्यक्रमों में सीमित संख्या में निम्नानुसार कार्यक्रम समिति कक्ष क्रमांक 506 मंत्रालय में आयोजित किये गये हैं। जैसे :- आतंकवाद विरोधी दिवस, सांप्रदायिक सद्भाव दिवस, संविधान दिवस।

निम्नलिखित शपथ कार्यक्रम सम्पन्न करायेः-

1. दिनांक 21/05/2020 को आतंकवाद विरोध दिवस का शपथ कार्यक्रम।
2. दिनांक 20/08/2020 को सांप्रदायिक सद्भाव दिवस।
3. दिनांक 26/11/2020 को संविधान दिवस।

4. विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभागाध्यक्ष कार्यालय/संगठन की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

4.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में एक अध्यक्ष का पद रिक्त है एवं चार सदस्यों के पद भरे हैं।

(2) वर्ष 2020-21 में विभिन्न विभागों के कुल 474 पदों हेतु 05 विज्ञापन जारी किए गए।

(3) वर्ष 2020 माह दिसम्बर तक आयोजित परीक्षाऐं/सीधे साक्षात्कार द्वारा किए गए चयनः-

स.क्र.	परीक्षा का नाम	विज्ञापित पद	आवेदन पत्र प्राप्त	परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी	सफल अभ्यर्थी	साक्षात्कार में आमंत्रित अभ्यर्थी	चयनित अभ्यर्थी
प्रतियोगी परीक्षा (प्रारंभिक +मुख्य +साक्षात्कार) द्वारा चयनित							
1.	राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा- 2019	540	366453	318130	10767	---	---
2.	राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा- 2019	06		118841	97	---	---
केवल साक्षात्कार द्वारा चयन							
3	सहायक संचालक सांख्यिकी	01	178	---	---	12	01

- राज्य सेवा परीक्षा 2019 (मुख्य परीक्षा) का आयोजन मार्च 2021 को किया जावेगा।
- राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 का आयोजन 30 मई 2021 को किया जावेगा।
- राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2020 का आयोजन 11 अप्रैल 2021 को होगा।

4.2 आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी

परिचय

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी की स्थापना वर्ष 1966 में ''लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन'' संस्थान के नाम से हुई थी। इस संस्थान का मूल उद्देश्य नव नियुक्त डिप्टी कलेक्टर एवं नायब तहसीलदार को प्रशासन एवं कानून व्यवस्था संबंधी

प्रशिक्षण प्रदान करना था। दिनांक 01 अप्रैल 1976 में अकादमी का नाम बदल कर प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश रखा गया। वर्ष 1976 में ही यह संस्थान अरेरा कालोनी, 1100 क्वार्टस में स्थानान्तरित किया गया। दिनांक 11 अक्टूबर 2001 को मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी का नाम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश रखा गया। दिनांक 30 जुलाई 2003 को आंशिक संशोधन कर अकादमी का नाम आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी किया गया।

समय के साथ-साथ प्रशासन अकादमी के कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ है। वर्तमान में शासन के विभिन्न विभागों के लिए अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है, प्रशिक्षण के क्षेत्र में अकादमी प्रदेश की शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्था है। वर्ष 1994 में भारत सरकार ने अकादमी को प्रशिक्षण के क्षेत्र में सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिये सम्मानित किया गया था।

वर्ष 1999 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के द्वारा अकादमी में सेटकाम केन्द्र की स्थापना की गई थी। प्रदेश शासन के मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी अकादमी के महानिदेशक के पद पर पदस्थ होते है जिनके प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण में अकादमी कार्य करती है।

अप्रैल 2015 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट पद्धतियों को अपनाने के लिए दो राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

दिनांक 23 अप्रैल 2015 से तीन वर्षों के लिए प्रशासन अकादमी को आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है।

अकादमी मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के लिये उनकी मांग एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा नेशनल कैलेण्डरके अंतर्गत आबंटित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं गैर शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के लिये भी अकादमी में प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है। अकादमी में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्य की प्रशिक्षण नीति को व्यवहार में लाने के लिये विभिन्न विभागों के लिये कार्यशाला, सेमीनार एवं कान्फ्रेंस आयोजित करना, विचार मंथन करना तथा प्राप्त अनुशंसाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु इस दिशा में प्रयास किया जाता है। शासन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अकादमी में विशिष्ट केन्द्रों की स्थापना भी राज्य शासन के अनुमोदन से की गई है। वर्तमान में प्रशासन अकादमी में निम्नांकित 12 केन्द्र/पंजीकृत संस्थाएं कार्यरत है।

<u>प्रशासन अकादमी में उपलब्ध अधोसंरचना</u>

अकादमी में संकाय सदस्यों के कक्षों के अतिरिक्त आधुनिक सुविधाओं से लैस 10 स्मार्ट क्लास रूम, आधुनिक हॉल, 2 कॉंफ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम हॉल, मिनी थिएटर, 04 कम्प्यूटर लैब, दो मंजिला ग्रंथालय एवं 500 सीटर स्वर्ण जयंती सभागार स्थित हैं।

अकादमी परिसर में दो आवासीय छात्रावास हैं। अकादमी में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित अधिकारियों/प्रशिक्षणार्थियों के आवास हेतु दोनों छात्रावासों में कुल 404 प्रशिक्षु अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था है। सभी कक्ष वातानुकूलित हैं। गेस्ट हाऊस में सात सुसज्जित कक्ष हैं।

अकादमी में सेवारत् अधिकारियों/कर्मचारियों के परिसर में निवास हेतु 81 आवासगृह स्थित हैं।

प्रशिक्षणार्थियों को खेलकूद सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से परिसर में बैडमिंटन, स्क्वॉश, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस हॉल, वातानुकूलित जिम, बिलियर्ड कक्ष, योगा हॉल के अतिरिक्त फुटबॉल ग्राउण्ड, वॉलीबॉल कोर्ट एवं स्वीमिंग पूल उपलब्ध हैं। तथा एक बैडमिंटन कोर्ट निर्माणाधीन है।

<u>उद्देश्य</u>

अकादमी के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए प्रशिक्षण नीति निर्माण में सहयोग एवं सलाह देना।
- सम्पूर्ण राज्य में आवश्यकतानुसार राज्य की अन्य सेवाओं को प्रशिक्षण के प्रबन्धन हेतु मार्गदर्शन देना।
- राज्य की उच्च सेवाओं के लिए सीधी भर्ती द्वारा चयनित व पदोन्नत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की संरचना व आयोजन करना।
- प्रशिक्षण तथा विकास से संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन तथा अनुसंधान के कार्य करना।
- प्रशिक्षण के क्षेत्र में नये विकास को समाहित करने की दृष्टि से अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं से सतत् संपर्क तथा सहयोग बनाये रखना।
- निम्नलिखित संस्थाओं/व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना:
    i. भारत सरकार
    ii. राज्य सरकार
    iii. भारत सरकार के उपक्रम
    iv. राज्य सरकार के उपक्रम
    v. निर्वाचित जनप्रतिनिधि
    vi. पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारी
    vii. नगरीय विकास के पदाधिकारी
    viii. स्वयंसेवी संस्थाएं
    ix. जिला एवं प्रदेश स्तरीय अन्य प्रशिक्षण संस्थाएं

लक्ष्य

- एक ऐसा वातावरण निर्मित करना, जो शिक्षा और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता हो।
- प्रशिक्षण के क्षेत्र में अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना।
- समस्त लोक सेवकों के लिए दूरस्थ प्रशिक्षण पद्धति सहित, विविध पद्धतियों के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षणार्थियों को व्यवसायिक दक्षता एवं नैतिकता के उच्च मापदण्डों को प्रोत्साहित करना।
- प्रशिक्षणार्थियों को इस योग्य बनाना, कि वे समाज को अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे सकें।

गुणवत्ता नीति

गुणवत्ता नीति से आश्य उन प्रमुख नीतियों से है, जिन्हें लक्ष्यों को साकार करने के उद्देश्य से अकादमी के द्वारा लागू किया जाना है। इस अकादमी की गुणवत्ता नीति निम्नानुसार है:-

- दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के उच्च मापदण्ड निर्धारित करना और उन्हे लागू करना ताकि सेवा प्राप्त करने वाले संगठनों एवं प्रशिक्षणार्थियों को संतुष्ट किया जा सके।
- समस्त कार्यों की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करना, उनका मानकीकरण करना एवं उनमें निरंतर सुधार लाना।
- सभी संबंधित वर्गों को ''गुणात्मक सुधार समूह'' में सम्मिलित कर गुणवत्ता को निरंतर बढ़ाना।
- सभी संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत विकास के अवसर उपलब्ध कराना ताकि उनके व्यक्तिगत विकास के साथ ही संस्था का विकास हो।

उपलब्धियां

- वर्ष 2020-2021 में कोरोना महामारी के कारण अकादमी में ट्रेनिंग बंद थी। शासन के द्वारा जारी गाईडलाईन के परिपालन में प्रशासन अकादमी में सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सका। इससे निपटने के लिए मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था प्रारम्भ की गई ताकि प्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी अपने स्थान पर रहते हुए अपने कार्य दायित्वों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 36 ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 1382

प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है तथा अत्यंत आवश्यक होने पर शासन द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन करते हुए 08 सामान्य (ऑफलाईन) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 105 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है।

अकादमी में स्थापित विशिष्टीकृत केन्द्र/परियोजना

अकादमी में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सहायता से विशिष्ट विषयों के प्रशिक्षण हेतु वर्तमान में निम्नानुसार केन्द्र/परियोजना स्थापित है:-

- सेटकाम केन्द्र
- राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट)
- नेशनल लैण्ड रिकार्ड मॉडर्नाइजेशन परियोजना
- महिला संसाधन केन्द्र
- विश्व व्यापार संगठन केन्द्र
- ज्ञान प्रबंधन एवं सुशासन केन्द्र
- स्वामी विवेकानन्द पीठ
- हुडको चेयर
- सूचना का अधिकार परियोजना
- सेवोत्तम प्रकोष्ठ
- आई.टी.पी. परियोजना
- कमिट परियोजना

बजट

मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी को मांग संख्या-01 मुख्य शीर्ष-2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं-003 प्रशिक्षण (2716) के अन्तर्गत वर्ष 2020-2021 के लिए राजस्व अनुभाग मद में कुल राशि ₹11,47,82,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ सैतालीस लाख ब्यासी हजार मात्र) एवं पूंजीगत अनुभाग में राशि ₹3,000/- (रूपये तीन हजार मात्र) इस प्रकार कुल राशि ₹11,47,85,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ सैतालीस लाख पचासी हजार मात्र) स्वीकृत है।

4.3 मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/08/2005 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। आयोग का कार्य

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई करना तथा वर्षान्त में अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर शासन को प्रस्तुत करना है।

आयोग को वर्ष 2020-21 के लिए ₹10,38,77,000 (दस करोड़ अड़तीस लाख सतत्तर हजार रूपये मात्र) का बजट आवंटित है।

वर्तमान में म.प्र. राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं 07 राज्य सूचना आयुक्त हैं।

राज्य सूचना आयोग के लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त एवं निराकृत आवेदनों की जानकारी

क्र.	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक	निराकृत आवेदनों की संख्या दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक
1	425	403

राज्य सूचना आयोग के अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील आवेदन प्राप्त एवं निराकृत की जानकारी :-

क्र.	प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक	निराकृत प्रथम अपीलों की संख्या दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक
1	57	46

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त एवं निराकृत अपीलों की जानकारीः-

क्र.	प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक	पिछले वर्षों की लंबित अपीलों सहित निराकृत द्वितीय अपीलों की संख्या दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक
1	12796 (पूर्व लंबित 7251+ वर्ष में प्राप्त 5545)	6577

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त एवं निराकृत शिकायतों की जानकारीः-

क्र.	प्राप्त आवेदनों की संख्या दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक	निराकृत आवेदनों की संख्या दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक
1	2155 (पूर्व लंबित 1054 + वर्ष में प्राप्त 1101)	1386

4.4 <u>लोकायुक्त संगठन</u>

भ्रष्टाचार तथा अधिकारों के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने के लिए राज्य शासन द्वारा 1 मार्च, 1964 को राज्य सतर्कता आयोग का गठन किया गया, जिसे समाप्त कर दिनांक

14/02/1982 को लोकायुक्त संगठन की स्थापना की गई। मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 12 (4) के अंतर्गत लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त द्वारा प्रतिवर्ष संपादित कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् वार्षिक प्रतिवेदन व्याख्यात्मक ज्ञापन एवं हिन्दी रूपान्तर के साथ विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

लोकायुक्त संगठन द्वारा दिनांक 01/04/2020 से 31/12/2020 तक निष्पादित कार्य के संबंध में संक्षिप्त टीप एवं आंकड़ों सहित जानकारी निम्नानुसार है:-

1. दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक की अवधि में संगठन में कुल 4579 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 4053 शिकायतें निराकृत की गई एवं उनमें से 526 शिकायतें जांच हेतु पंजीबद्ध की गई है।
2. शासन के विभिन्न विभागों से दण्डित 49 प्रकरणों में अधिकारियो/कर्मचारियों को विभागीय स्तर पर दण्डित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। संगठन में इस अवधि में 474 प्रकरण समाप्त किए गए हैं। उक्त अवधि में 10 प्रकरणों में विभागीय जांच एवं विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। संगठन की शिकायत एवं जांच शाखा की पहल पर उक्त अवधि में ₹3,58,28,065/- (तीन करोड अट्ठावन लाख अट्ठाईस हजार पैंसठ रूपये मात्र) वसूली की गई।
3. लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना में दिनांक 01/01/2020 से दिनांक 31/12/2020 तक उक्त अवधि में कुल 151 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। उक्त अवधि में रिश्वती मामले के संबंध में (ट्रेप) 118 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में (छापा) 13 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, पद के दुरूपयोग के संबंध में 20 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। उक्त अवधि में 13 छापों के प्रकरणों में लगभग ₹27,30,03,422/- (सत्ताईस करोड़ तीस लाख तीन हजार चार सौ बाईस रूपये मात्र) की संपत्ति प्रथम दृष्टया उजागर हुई है।
4. लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना की इकाईयों द्वारा विभिन्न माननीय विशेष न्यायालयों में दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक 106 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किए गए हैं।
5. इसी प्रकार संगठन की विशेष पुलिस स्थापना में पंजीबद्ध प्रकरणों में विभिन्न माननीय विशेष न्यायालयों द्वारा दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक कुल 34 प्रकरणों में आरोपीगण को सजा से दंडित किया गया है।

4.5 आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ

भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराधों पर रोक लगाने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ का गठन 15/02/1977 में किया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा राज्य शासन के अधीन विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए

आर्थिक अपराधों के संबंध में प्रकरणों की जांच कर विवेचना पूर्ण होने पर विशेष न्यायालय में चालान पेश करने की कार्यवाही की जाती है। प्रशासनिक अनियमितता के मामलों में विभाग को विभागीय कार्यवाही हेतु लिखा जाता है। वर्ष 2020 में माह दिसम्बर तक प्रकोष्ठ द्वारा भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अपराधों से जुड़े 51 प्रकरणों में अपराध पंजीबद्ध किए जाकर 24 मामलों में निराकरण किया गया है। साथ ही 25 मामलों में प्रारंभिक जांच पंजीबद्ध की जाकर 30 मामलों में निराकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त 250 शिकायतें पंजीबद्ध की जाकर 196 शिकायतों का निराकरण किया गया है।

आर्थिक आसूचना इकाई (Economic Intelligence Unit) का गठन

शासन की मंशा के अनुरूप आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ अधिक प्रभावी रूप से कार्यवाही करने हेतु उन्नयित तथा सक्षम बनाये जाने हेतु आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में निम्नानुसार इकाईयां गठित किए जाने का निर्णय लिया गयाः-

- इन्वेस्टीगेशन यूनिट
- एन्टी-करप्शन यूनिट (विजिलेंस)
- इकानॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट
- टैक्निकल सपोर्ट यूनिट

इन्वेस्टीगेशन यूनिट, एन्टी-करप्शन यूनिट (विजिलेंस) एवं टैक्निकल सपोर्ट यूनिट आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में पूर्व से ही कार्यरत है। उक्त निर्णय के अनुसरण में प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश राज्य में संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित सूचनाओं के संकलन और यथोचित कार्यवाही हेतु निदेशक/महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश भोपाल के नियंत्रणाधीन एक आर्थिक आसूचना इकाई (Economic Intelligence Unit) का गठन दिनांक 17/12/2019 से किया गया है।

4.6 मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन

मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन द्वारा निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता का स्तर तथा लागत व्यय को स्वीकार योग्य मापदण्ड के अनुरूप रखे जाने के संबंध में कार्यो का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति में जांच प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार हैः-

नवीन प्रकरण	लंबित प्रकरण	निराकृत प्रकरण	गंभीर प्रकरण	लंबित गंभीर प्रकरण	निराकृत गंभीर प्रकरण	शिकायत निराकृत	लंबित शिकायत	वसूली राशि (लाख में)
19	**1440**	**136**	**10**	**7**	**3**	**0**	**4**	**208.18**

संगठन द्वारा वर्ष 2019-20 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है।

वर्ष 2020-21 में प्राप्त ₹551.03 लाख के विरूद्ध कुल ₹315.53 लाख का व्यय दिनांक 31/12/2020 तक किया गया। संगठन में 36 पद रिक्त होने के कारण वेतन भत्ते के मद में कम व्यय हुआ है।

4.7 विभागीय जांच आयुक्त

राज्य शासन के अधीन पदस्थ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही किए जाने हेतु आयुक्त, विभागीय जांच का गठन किया गया है। उक्त पद पर न्यायिक सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है।

दिनांक 31/12/2020 की स्थिति में उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-

1.	01 जनवरी, 2020 को पूर्व से प्रचलित लंबित प्रकरणों की संख्या	11
2.	31 दिसम्बर, 2020 तक प्राप्त नये प्रकरणों की संख्या	06
3.	कुल लंबित प्रकरणों की संख्या	17
4.	31 दिसम्बर, 2020 तक निराकृत/वापिस किए गए प्रकरणों की संख्या	03
5.	शेष बचे प्रकरणों की संख्या	14

4.8 आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली

(1) नये मध्यप्रदेश भवन का निर्माण

नये मध्यप्रदेश भवन हेतु प्लाट नं. 29सी एवं 29डी जो जीसस एण्ड मेरी मार्ग तथा डा. राधाकृष्णन मार्ग के 'टी' जंक्शन पर 1.47 एकड़ भूखण्ड का आधिपत्य केन्द्र शासन से प्राप्त कर निर्माण हेतु शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत एन.बी.सी.सी. (इंडिया) को निर्माण ऐजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस भवन के निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा ₹149.87 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 06/10/2018 को जारी की जा चुकी है। एन.बी.सी.सी. (इंडिया) के वास्तुविद द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई परियोजना से संबंधित नक्शों का अनुमोदन दिनांक 05/11/2019 को नई दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन द्वारा प्रदाय कर दिया गया है। वर्तमान में भवन का आर.सी.सी. ढांचे का कार्य जनवरी, 2021 के अंत तक पूर्ण होगा। एन.बी.सी.सी. से प्राप्त जानकारी अनुसार यह कार्य सितम्बर, 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(2) मध्यांचल विस्तार

नई दिल्ली में वसंत कुंज स्थित 'मध्यांचल' के पीछे खाली पड़ी दि.वि.प्रा. की 1186 वर्ग मी. भूमि को सघन प्रयासों के बाद दि.वि.प्रा. से लीज पर लेकर उसका आधिपत्य भी प्राप्त कर लिया गया है। इस भूमि पर मध्यप्रदेश पुलिस के नई दिल्ली में पदस्थ सुरक्षाकर्मियों, जो वर्तमान में मध्यप्रदेश भवन के पीछे अनाधिकृत रूप से टेंटो एवं शेडों में अमानवीय परिस्थितियों में रहवास कर रहे हैं, के लिए बैरेक्स, किचन, शौचालय, डाईनिंग रूम, मनोरंजन कक्ष के साथ कुछ अतिथि कक्ष एवं अधिकारियों एवं नवनिर्वाचित सांसदों हेतु ट्रांजिट आवासों का निर्माण प्रस्तावित किया है। इस भवन निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा ₹45.03 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 30/09/2019 को जारी की जा चुकी है। वर्तमान में एन.बी.सी.सी. (इंडिया) के वास्तुविद द्वारा अंतिम रूप से संबंधित नक्शों का अनुमोदन विमानन प्राधिकरण तथा दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन में प्रचलन में है।

(3) मध्यलोक का निर्माण

मध्यलोक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं नवी मुंबई म्यूनिसिपल कार्पोरेशन से आक्यूपेंसी प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है। वर्तमान में मध्यलोक का संचालन शासन के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

(4) मध्यप्रदेश के लिए राज्य के बाहर से धनराशि उपलब्ध कराई जाना और राज्य के मुद्दों का केन्द्र में अनुसरण

दिनांक 31/12/2020 तक केन्द्र से राज्य की ओर कुल ₹78,718.87 करोड़ से अधिक का अंतरण हुआ, इसके अतिरिक्त विभिन्न गैर-वित्तीय उपलब्धियां भी रही।

4.9 मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्य जन सामान्य के मानव अधिकारों के हनन के मामलों में संज्ञान लेकर प्रकरणों की जांच करना है। आयोग द्वारा जनजागृति को लेकर अनेक प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा आयोग मानव अधिकार हनन के कतिपय मामलों में अपने अनुसंधान दल की मदद से जांच करवाकर उन पर कार्यवाही करता है।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को दिनांक 01/01/2020 से 31/12/2020 तक कुल 8326 शिकायतें प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान 6062 शिकायतों का निराकरण किया

गया, वर्ष के अंत में 2264 शिकायतें लंबित हैं। इस अवधि के दौरान आयोग द्वारा मानव अधिकारों से जुड़े व्यापक जनहित के मुद्दों पर एवं समाचार-पत्रों में मानव अधिकार हनन से संबंधित प्रकरणों में संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की गई है तथा जागरूकता कार्यक्रमों के साथ विकेन्द्रीकरण का सिलसिला भी शुरू हुआ है। इसी श्रंखला में अब तक जिला सीहोर, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, राजगढ़, होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन, दमोह, छतरपुर, दतिया, धार, शिवपुरी, सिवनी एवं देवास में जाकर लंबित प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण किया गया एवं नये आवेदन पत्रों पर भी सुनवाई की गई। कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल, 2020 से उक्त भ्रमण स्थगित रखे गये हैं।

दिनांक 01/04/2020 से दिनांक 31/12/2020 तक प्राप्त शिकायतों के निराकरण के दौरान आयोग द्वारा 25 प्रकरणों में राज्य शासन को अनुशंसाएं भेजी गई है। आयोग द्वारा की गई कुल 297 अनुशंसाओं में से शासन द्वारा 123 अनुशंसाओं का निराकरण किया गया है एवं वर्तमान में 174 अनुशंसाएं शासन के विभिन्न विभागों में पालन हेतु लंबित हैं।

मानव अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को सामान रूप से सामाजिक, आर्थिक/राजनीतिक न्याय दिलाने की परिकल्पना की गई है। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग, भेद के आधार पर न हो, इस धारणा को ध्यान में रखकर आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा-12 के दायित्वों/कर्तव्यों का निष्पादन अध्याय-5 के अधीन करता है। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए जिला स्तर पर सलाहकार समितियों का गठन किया गया है तथा कार्य प्रणाली निर्धारित कर एक स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम का नाम ''पीड़ितों के मानव अधिकार संरक्षण हेतु गठित सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली हेतु स्कीम'' है।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग मित्र शिकायत प्रकोष्ठ संचालन स्कीम में राज्य के जिला और तहसील स्तर पर आयोग मित्रों का मनोनयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में समस्त जिलों में जिला संयोजक-आयोग मित्रों सहित कुल 89 आयोग मित्र माह दिसम्बर, 2020 तक मनोनीत किए गए हैं। ये आयोग के मानसेवी सहयोगी हैं।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा देश के विभिन्न विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों के विधि विषय के विद्यार्थी, नियमित पढ़ाई करते हुये इण्टर्नशिप/प्रोजेक्ट वर्क के लिए आयोग में प्रतिवर्ष आते हैं। 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के आयोजित विगत सत्र में कुल 115 विद्यार्थियों ने भाग लेकर इण्टर्नशिप/प्रोजेक्ट कार्य सफलतापूर्वक किया।

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/02/2020 के द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए नोवल कोरोना कोविड़-19 अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित किए जाने के कारण एवं कोरोना वायरस के

संबंध में शासन की गाईडलाईन/नियमों को दृष्टिगत रखते हुए मई-जून 2020 इन्टर्नशिप सत्र को आयोजित नहीं किया गया है। कोविड़-19 संक्रमण की दर में गिरावट को देखते हुए तथा विधि संकाय के विद्यार्थियों की मांग के मद्देनजर रखते हुए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आयोग से अपेक्षित जानकारी ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

आयोग स्थापना दिवस 13 सितम्बर, 2019 को आयोग का पोर्टल hrc.mp.gov.in भी प्रारम्भ किया गया है। इस पोर्टल पर आयोग के संबंध में समस्त डाटा बेस उपलब्ध कराया गया है। इस पोर्टल के द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से भी समन्वय स्थापित किया गया है। अब शिकायतकर्ता सीधे आयोग को अपनी समस्याओं के संबंध में पोर्टल के द्वारा शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आयोग की वेबसाईड सोशल मीडिया Twitter, Youtube, Facebook पर भी उपलब्ध है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 के अध्याय-03 में आयोग अपने कार्य एवं शक्तियों के निर्वहन के उद्देश्य से समय-समय पर कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का 26 वां स्थापना दिवस 13 सितम्बर 2020 को मनाया गया। इस वर्ष स्थापना दिवस कार्यक्रम का केंद्रीय विषय ''**कोरोना काल में मानव अधिकार संरक्षण**'' रखा गया था। भोपाल स्थित आयोग कार्यालय के सभागार में वेबिनार के जरिये आयोजित इस स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन ने कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिये मानवीय संवेदनाएं बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कोरोना के सन्दर्भ में देश व प्रदेश के वर्तमान हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुये कहा कि यह हम सबके लिये बेहद चुनौतीपूर्ण दौर है। इस मौके पर आयोग के 26 वें स्थापना दिवस की स्मारिका के रूप में ''**कोरोना काल में मानव अधिकार संरक्षण**'' शीर्षक पुस्तिका का विमोचन किया गया तथा प्रदेश के सभी जिलों में पदस्थ आयोग मित्रों को स्थापना दिवस का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आयोग के माननीय सदस्यद्वय श्री मनोहर ममतानी एवं श्री सरबजीत सिंह, सचिव श्री शोभित जैन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमती सुषमा सिंह सहित आयोग के अन्य सभी अधिकारीगण उपस्थित थे। जिलों में पदस्थ सभी आयोग मित्रों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में सहभागिता की।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोग कार्यालय के सभागार में ऑन-लाईन अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, **10 दिसम्बर 2020** मनाया गया। जिसका केंद्रीय विषय ''**मातृ भाषा एवं मानव अधिकार**'' रखा गया था। भोपाल स्थित आयोग कार्यालय के सभागार में वेबीनार के माध्यम से आयोजित इस अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एवं विषय विशेषज्ञ प्रो वृषभ प्रसाद जैन, निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी

विश्वविद्यालय, वर्धा ने ऑन-लाइन संबोधित किया। उन्होंने अपने उद्‌बोधन में बताया कि मानव अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन के लिये मातृ भाषा ही मूल आधार है।

इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यद्वय द्वारा विषय के परिप्रेक्ष्य में प्रकाश डाला गया।

बेवीनार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन ने अपने उद्‌बोधन में मानव अधिकार की ऐतिहासिक, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्थिति के बारे में अवगत कराया, उन्होंने मानव अधिकारो की सार्वभौमिक घोषणा एवं भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत दिये गये मानव अधिकारों का एक तुलनात्मक चार्ट दर्शाते हुए बताया कि वे सभी अधिकार जो सार्वभौमिक घोषणा में दिये गये हैं उनका उल्लेख हमारे संविधान में भी किया गया है। मातृभाषा के संदर्भ में उन्होंने एक पुस्तक ''अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल'' का उल्लेख करते हुए बताया कि इस पुस्तक के लेखक श्री संक्रान्त सानु जो कि स्वयं आईआईटी कानपुर औटेक्सास विश्वविद्यालय के स्नातक हैं तथा जिनके आलेख कई यूरोपीय देशों में प्रकाशित हुए, जिसमें उन्होंने शोध के पश्चात यह बताया कि प्रति व्यक्ति जी.एन.पी. के आधार पर सर्वाधिक धनी देश वे हैं जिन्होंने अपनी जनभाषा को राजभाषा बनाया तथा जो निर्धन देश हैं उन्होंने वहां की जनभाषा को राजभाषा नहीं बनाया। जिससे स्पष्ट होता है कि मातृभाषा के आधार पर किस तरह किसी देश का विकास संभव है।

आयोग के सदस्य श्री मनोहर ममतानी ने इस अवसर पर अपने उद्‌बोधन में कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को द्वारा वर्ष 1999 में मातृभाषा के महत्व को देखते हुए सामान्य सभा के अनुमोदन पर 21 फरवरी, 2000 को अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया। क्योंकि मातृभाषा व्यक्ति के विकास के साथ ही सांस्कृतिक विविधता, संवाद एवं परस्पर सहयोग को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

आयोग के सदस्य श्री सरबजीत सिंह द्वारा विषय के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में मातृभाषा के महत्व को इंगित करते हुए उल्लेख किया कि मातृभाषा से ही समग्र व्यक्ति का विकास संभव है। हालांकि नए परिवेश में अन्य भाषाएं भी सीखी जा सकती हैं जिनका कि आज के परिदृश्य में महत्व है, किंतु फिर भी मातृभाषा से ही हमारी संस्कृति एवं विरासत की पहचान रह सकती है।

बेवीनार कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं विषय विशेषज्ञ प्रो श्री वृषभ प्रसाद जैन जो कि वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, तथा स्वयं हिन्दी भाषाविद हैं उन्होंने सर्वप्रथम आयोग का इस हेतु आभार व्यक्त किया कि आज जब पूरे विश्व में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवद्‌र्धन के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किये जा रहे हैं, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग संभवतः पूरे विश्व एवं देश में

तथा सभी राज्यों में इस बात के लिए जाना जायेगा कि उन्होंने जो विषय चयन किया है वह पूर्व में कभी मानव अधिकार आयोगों द्वारा नहीं लिया गया है। क्योंकि मातृभाषा के उपयोग से ही सही मायनों में मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवद्र्घन संभव है। क्योंकि मातृभाषा के मूल में ही मानव अधिकार निहित हैं। प्रो ज़ैन ने हिन्दी विषय को लेकर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डाला तथा क्षेत्रीय स्तर पर भी अन्य बोलियों/भाषाओं के बावजूद भी हिन्दी भाषा के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह बच्चे का पोषण माँ के दूध से होता है वैसे ही मातृभाषा है जो बचपन से लेकर जीवन पर्यन्त व्यक्ति के संवाद उसकी संस्कृति एवं उसके विकास के लिए आवश्यक होती है। उन्होने बताया कि पोलेण्ड देश के निवासी जी.ब़ैले शाह ने कहा था कि मेरा देश परतंत्र रहे परन्तु मेरी भाषा परतंत्र नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि किसी भी कौम की सभ्यता - संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए सर्वप्रथम हमला उसकी भाषा पर ही हुआ है। हमें अपनी भाषा को बचाये रखना है और जी.ब़ैले शाह के आव्हान से पोलेण्ड देश आजाद हो गया था। तात्पर्य यह है कि मातृभाषा का कितना महत्व होता है यह उक्त विचारों से समझा जा सकता है।

वेबीनार में सभी संभागों के संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल सामाजिक विज्ञान महाविद्यालय के प्राध्यापक व विद्यार्थी तथा प्रदेश के सभी जिलों में कार्यरत आयोग के स्वयंसेवी आयोग मित्र तथा कार्यालय के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगणों द्वारा ऑनलाईन रहकर सहभागी रहे।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 के अध्याय-3 में आयोग अपने कार्य एवं शक्तियों के निर्वहन के उद्देश्य से समय-समय पर कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करता है। साथ ही मासिक न्यूज लेटर एवं त्रैमासिक ''मानव अधिकार पत्रिका'' का प्रकाशन नियमित रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा आयोग द्वारा विभिन्न विषयों पर लघु पुस्तिकाओं और पोस्टर्स भी प्रकाशित कराए जाते हैं।

<u>आयोग का बजट</u>

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (माअप्र) मंत्रालय, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए राशि ₹720.00 लाख प्रावधानित आवंटन में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की कुल राशि ₹504.00 लाख का अनुदान आयोग को अब तक प्राप्त हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान की अंतिम किश्त प्राप्त होना शेष है। आयोग द्वारा माह नवंबर, 2020 तक राशि ₹447.99 लाख का व्यय किया जा चुका है।

प्रशासन एवं जनता में मानव अधिकारों के प्रति संवेदना जागृत हो, इस हेतु आयोग समय-समय पर आवश्यकता अनुसार सम्मेलन, कार्यशालाएं एवं सभाओं का विशेष आयोजन करता है। समाज के विभिन्न तबकों में मानव अधिकार साक्षरता को फैलाने हेतु प्रकाशन,

प्रचार के माध्यम एवं अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से प्रयासरत् हैं। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध रक्षा के उपायों की जानकारी प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का सतत् प्रयास मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा निरंतर किया जा रहा है।

4.10 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

नगरीय निकायों तथा पंचायतों को स्थानीय शासन की सक्षम एवं सशक्त इकाईयॉ बनाने के उद्देश्य से संविधान में तिहत्तरवें तथा चौहत्तरवें संशोधन किए गए हैं। इन इकाइयों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव निर्धारित समय पर कराने के लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान इन संशोधनों में किया गया है। इन प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 01 फरवरी, 1994 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-243 के खण्ड (k) में की गई अपेक्षा के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 19-01/2006/1/4 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा श्री बसंत प्रताप सिंह, भा.प्र.से. (म.प्र. 1984) सेवानिवृत, को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा दिनांक 01/01/2019 को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

आयोग के कार्य संचालन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 414 दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 द्वारा आयोग की पदस्थापना में स्वीकृत 91 पदों की सहमति प्रदान की गई है एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-22/2020/1/4 दिनांक 26 सितम्बर, 2020 द्वारा मुख्यालय स्तर पर 21 अस्थाई पद तथा जिला स्तर पर 255 अस्थाई पद इस प्रकार कुल 276 अस्थाई पदों को दिनांक 01/03/2020 से 28/02/2021 तक के लिए प्रर्वतित किया गया है।

आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने हेतु उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग को मुख्यालय के लोक सूचना अधिकारी तथा सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को अपीलीय प्राधिकारी पदाभिहित किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालयों (स्थानीय निर्वाचन) में जिले में पदस्थ उप जिला निर्वाचन अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को अपीलीय अधिकारी पदाभिहित किया गया है।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 के अन्तर्गत आयोग के निम्नलिखित दायित्व है:-

1. पंचायत एवं नगरपालिका के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करना।
2. पंचायत एवं नगरपालिका के निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण।
3. इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-47 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-24 में संशोधन के फलस्वरूप अब किसी नगरपालिक निगम के महापौर अथवा किसी नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से वापस बुलाये जाने हेतु मतदान कराया जाता है। उक्त मतदान भी आयोग के दायित्वों में सम्मिलित किया गया है।
4. मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के उप सरपंच, जनपद पंचायत/जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित जानकारी

1. पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची की वार्षिक पुनरीक्षण-2020 हेतु प्रक्रिया एवं मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम 20/02/2020 तथा संशोधित कार्यक्रम दिनांक 15/04/2020, 30/05/2020 एवं 08/07/2020 को समस्त कलेक्टर्स को जारी किया गया।
2. उपर्युक्त संशोधित कार्यक्रम के अनुक्रम में पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 02 सितम्बर, 2020 को किया जा चुका है।

3. त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2020-21 हेतु मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करने के संबंध में दिशा-निर्देश समस्त कलेक्टर्स को दिनांक 03/10/2020 को जारी किए गए।

4. पंचायत के आम/उप निर्वाचन में लिफाफों की संख्या कम करते हुए फाईल-फोल्डर का उपयोग किये जाने के संबंध में निर्देश समस्त कलेक्टर्स को दिनांक 06/11/2020 को जारी किए गए।

5. त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2020-21 हेतु जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पद की जानकारी ऑनलाईन भेजने के संबंध में निर्देश समस्त कलेक्टर्स को दिनांक 20/11/2020 को जारी किये गये।

नगरीय निकाय के निर्वाचन से संबंधित जानकारी

1. प्रदेश की नगरीय निकायों एवं नवगठित नगर परिषदों के आम निर्वाचन हेतु दिनांक 01 जनवरी, 2020 की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची के सतत् पुनरीक्षण का कार्यक्रम दिनांक 20 फरवरी, 2020 को जारी किया गया जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 02 सितम्बर, 2020 को कराया गया।
2. साथ ही राज्य की 21 नवगठित नगरीय निकायों की मतदाता सूची पुनरीक्षण दिनांक-01/01/2020 की स्थिति में तैयार किये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किये गये जिनका अंतिम प्रकाशन दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 को कराया गया।
3. मतदाता सूची का कार्य म.प्र. इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम राज्य स्तरीय एजेन्सी से कराया गया एवं जिलों में आने वाली समस्याओं का भी निराकरण किया गया। मतदाता सूची के संबंध में प्राप्त शिकायतों का भी निराकरण किया गया।
4. राज्य स्तरीय एजेन्सी (एस.एल.ए.) तथा आयोग के मध्य मतदाता सूची के सतत् पुनरीक्षण के अनुबंध एवं कार्य का सतत् पर्यवेक्षण किया गया ।
5. मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष पद के निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से किये जाने संबंधी पारित मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 दिनांक 26 सितम्बर, 2020 के अनुक्रम में निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे गये हैं-
   i. मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में संशोधन
   ii. महापौर/अध्यक्ष और पार्षद पद के अभ्यर्थी के द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा संधारण नियम, 2020
6. नगरीय निकायों के पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय सीमा निर्धारित की जाकर उसका राजपत्र में प्रकाशन किया गया।
7. मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश 2020 दिनांक 26 सितम्बर, 2020 के अनुक्रम में महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद् पद के अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में संशोधन किया गया है।
8. मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश 2020 दिनांक 26 सितम्बर, 2020 के अनुक्रम में किये गये संशोधन अनुसार पूर्व में विभिन्न नगरपालिका निर्वाचन से संबंधित निर्देश पुस्तकों में पुनः संशोधन की कार्यवाही की गई है।
9. मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश 2020 दिनांक 26 सितम्बर, 2020 के अनुक्रम में पुनः महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद् पद के लिए विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीकों का राजपत्र में प्रकाशन कराया गया।

10. नगरीय निकायों के निर्वाचनों में उपयोग किये जाने वाले प्ररूपों/प्रपत्रों/परिशिष्टों में आवश्यक संशोधन कर नगरीय विकास एवं आवास विभाग को संशोधन प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है।

ई.व्ही.एम. संबंधी जानकारी

1. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ई.सी.आई.एल.,हैदराबाद से 54,000 कंट्रोल यूनिट एवं 1,59,360 बैलेट यूनिट का क्रय किया गया है। ई.सी.आई.एल., भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का सार्वजनिक उपक्रम है।

2. इस ई.व्ही.एम. से एक साथ आठ पदों का निर्वाचन किया जा सकता है । इस कारण यह बहुपद एवं बहुस्थान (Multipost and Multiseat) निर्वाचन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली ई.व्ही.एम. है।

3. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विगत वर्षो में नगरीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष और पार्षद तथा पंचायतों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य ओर सरपंच पद के निर्वाचन ई.व्ही.एम. के माध्यम से सफलतापूर्वक सम्पन्न कराए गए है। साथ ही, नगरीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष को पद से वापस बुलाए जाने संबंधी निर्वाचनों में भी ई.व्ही.एम. का उपयोग सुनिश्चित किया गया है।
   आगामी प्रस्तावित आम निर्वाचन में नगरीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष और पार्षद तथा पंचायतों में जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य पद के चुनाव ई.व्ही.एम से कराए जाऐंगे।

4. आयोग द्वारा उपयोग की जा रही ई.व्ही.एम. लोकसभा एवं विधान सभा निर्वाचन हेतु उपयोग की जा रही ई.व्ही.एम. से पूर्णतः पृथक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता डिटेचेबल मेमोरी मोड्यूल (डीएमएम) है ।

5. प्रत्येक निर्वाचन के बाद कंट्रोल यूनिट से डीएमएम निकालकर सील करने की कार्यवाही की जाएगी तथा नया डीएमएम लगाकर उसे अगले निर्वाचन के चरण हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

6. इस मशीन की निम्नलिखित अन्य विशेषताएं भी है :-
   - यूनिक/अद्वितीय क्रम संख्या
   - रियल टाइम क्लॉक (आर.टी.सी.)
   - समय मुद्रांकन
   - टाईम लॉगिंग

- अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले
- वार्ड क्रमांक एवं मतदान केन्द्रों का क्रमांक
- टैंपर संसूचक
- लेजर मार्किंग
- पी.सी.बी. का संस्थापन
- पॉटिंग
- बैटरी पॉवर स्टैटस
- प्रिंट
- ब्रैल

सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नानुसार ऑनलाईन एप्लिकेशन्स को इनहाउस निर्मित कर कार्य किया जा रहा है :-

1. IEMS (Integrated Election Management System): इस एप्लिकेशन में निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने से लेकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक की समस्त कार्यवाहियाँ जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ऑनलाईन एक ही प्लेटफार्म पर की जाती है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया सहज एवं सरल हुई है और सूचनाओं का संप्रेषण तीव्र हुआ है।

2. OLIN (Online Nomination): इस एप्लिकेशन के माध्यम से नगर पालिका और पंचायत निर्वाचन में उम्मीदवारों को ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र तैयार करने की सुविधा दी गई है। OLIN से सहज, सरल और पारदर्शी तरीके से उम्मीदवारों को त्रुटिहीन नामनिर्देशन दाखिल करने की सुविधा मिली है। OLIN के माध्यम से ही निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथपत्र (शैक्षणिक योग्यता, चल-अचल सम्पत्ति, आपराधिक प्रकरण आदि) का तुलनात्मक सारपत्रक तैयार कर मतदान केन्द्र पर फ्लेक्स बनाकर लगाया जा रहा है, जिससे मतदाताओं को अपने अभ्यर्थियों के बारे में जानने का मौका मिलता है।

3. Poll Day Communication: इस एप्लिकेशन में मतदान सम्बंधी जानकारियाँ (मतदान दल की रवानगी, मॉकपोल, मतदान प्रतिशत् आदि) रिटर्निंग ऑफिसर व

जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त की जाएगी। Poll Day Communication ने सूचना संप्रेषण को सरल, तीव्र और शुद्ध किया है।

4. EVM Management System: इस एप्लिकेशन से ईव्हीएम से सम्बंधित प्रक्रियाएँ (एफएलसी, रेण्डमाईजेशन, कमीशनिंग आदि) की कार्यवाही की जाती है।

5. Infra Mapping Mobile App: इस एप्लीकेशन के द्वारा नगरीय निकाय एवं पंचायतों के मतदान केन्द्र पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी की प्रविष्टि की जाती है। आयोग द्वारा मेप आई.टी. के सहयोग से उक्त एप्प का कस्टमाइजेशन कराया गया है।

6. Polling Party and Counting Party Randomization: इस एप्लीकेशन के माध्यम से आम निर्वाचन के दृष्टिगत मतदान कर्मीयों एवं मतगणना कर्मियों की प्रविष्टि कर रेण्डमाईजेशन का कार्य किया जाता है।

7. "CHUNAV" Mobile App: चुनाव एप एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता व निश्पक्षता से यह कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। एप के माध्यम से मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी जानकारियाँ (मतदान केन्द्र, उम्मीदवार, चुनाव परिणाम, शपथपत्र, मतदाता सूची आदि) प्रदाय की जाती है।

8. MMS (Material Management System): एप्लिकेशन से निर्वाचन सामग्री का ऑनलाईन प्रबंधन किया गया हैं। बजट मेनेजमेंट सिस्टम एप्लिकेशन से जिला ऑनलाईन वित्तीय मांग प्रेषित करते है और उन्हें ऑनलाईन ही आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। LMS (Letter Monitoring System) एप्लिकेशन में आयोग को प्राप्त होने वाली समस्त डाक को दर्ज कर समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाता है। LMS से प्रकरणों की सूक्ष्म समीक्षा बहुत आसान हो गई है। Court Case Management System और Record Room Management System एप्लिकेशन से सम्बंधित क्षेत्रों का काम ऑनलाईन सम्पादित किया जाता है।

9. ERMS: इस पोर्टल के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग प्रतिवर्ष फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण संपादित करता है। इसके उपयोग से मतदाता सूची को

इलेक्ट्रोनिकली संघारित एवं तैयार किया जाता है। MPSEDC इस कार्य हेतु आयोग SLA नियुक्त है।

सामग्री प्रबंधन से संबंधित जानकारी

आयोग द्वारा वर्ष 2015 के उत्तारार्द्ध में सम्पन्न हुए नगरीय/पंचायतों के आम/उप निर्वाचन में नवाचार के तौर पर पूर्व से प्रचलित 32 प्रकार के लिफाफों की संख्या को कम करते हुए नीले/पीले रंग के फाईल फोल्डर एवं मात्र 5 प्रकार के लिफाफों का प्रयोग किया गया।

मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित ER1 परिर्वधन, ER2 विलोपन, ER3 संशोधन, और ER4 अपील के नये प्रारूप तैयार किये गए है, जो एक बुकलेट के रूप में प्राधिकृत कर्मचारी को दिये जायेगें।

आम/उप निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्र पर उपयोग किये जाने वाले प्रारूपों, प्रपत्रों एवं परिशिष्टों की नगरपालिका निर्वाचन हेतु पी.ओ. बुकलेट और पी.ओ. लीफलेट तैयार की गई हैं, इसी प्रकार पंचायत निर्वाचन हेतु पी.ओ. बुकलेट और पी.ओ. लीफलेट तैयार की गई हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्ररूप, प्रपत्र, परिशिष्टों को समेकित किया गया है, इससे मतदान दल को वापस करने में आसानी होगी। लीफलेट-पी.ओ. बुकलेट, का पायलेट प्रोजेक्ट उप निर्वाचन में अत्याधिक सफल रहा। उपरोक्त नवाचार से पीठासीन अधिकारियों के निर्वाचन कार्य काफी सरल हो गए है। आयोग द्वारा निर्वाचन में उपयोग की जाने वाली सामग्री का वर्तमान संदर्भ में युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है।

निर्वाचन सामग्री प्रबंधन के लिए एक ऑन लाईन एप्लीकेशन बनाई गई है, जिलों से निर्वाचन सामग्री की ऑन लाईन मांग प्राप्त की जाती है, और निर्वाचन सामग्री स्पीड पोस्ट से जिलों को भेजी जाती है। इस व्यवस्था से जिलों से निर्वाचन सामग्री प्राप्त करने के लिए भोपाल आने की आवश्यकता समाप्त हो गई है, जिससे कार्य में सुविधा हुई है तथा व्यय में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है।

नगरपालिका/पंचायत आम निर्वाचन 2020-21 को दृष्टिगत रखते हुए सामग्री प्रबंधन शाखा द्वारा नगरपालिका निर्वाचन की 27 पुस्तकें, 23 प्ररूप, 04 निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र, 08 प्रकार के लिफाफे एवं नीला फोल्डर तथा पंचायत निर्वाचन की 09 पुस्तकें, 15 प्ररूप, 18 प्रकार के लिफाफे एवं पीला फोल्डर तथा नगरपालिका/पंचायत(दोनो निर्वाचनों की कॉमन सामग्री) 05 प्रकार की पेपर सीलें, कट टैग, एड्रेस टैग, 51 लोहे के बाक्स, कपड़े की छोटी बड़ी थैली तथा अमिट स्याही क्रय/मुद्रण की कार्यवाही करायी जाकर समस्त जिलों को विशेष वाहक एवं वाहन बुलाये जाकर प्रेषित की जा चुकी है।

SENCE (Systematic Education Nurturing & Sensitization of Electorate)- के संबंध में

नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन 2020-21 में आयोग द्वारा प्रचार-प्रसार (सेंस) से संबंधित निम्नांकित गतिविधियां सम्पन्न कराई गईः-

प्रचार-प्रसार (SENCE) के लक्ष्यः- प्रचार-प्रसार के माध्यम से मतदान का प्रतिशत बढ़ाना, मतदान का महत्व समझाना तथा मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग हेतु प्रेरित करना।

1. मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया के बारे में प्रचार-प्रसार द्वारा अवगत कराना।
2. महिला एवं युवा मतदाताओं को मतदान के लिये प्रोत्साहित करना।
3. मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की जानकारी से अवगत कराना।
4. जिन मतदान केन्द्रों पर विगत निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत कम रहा है, उन मतदान केन्द्रों पर मतदान का प्रतिशत बढ़ाये जाने के प्रयास करना।
5. मतदाता सहायता केंद्रों/जनसेवा केन्द्रों की, वार्ड/मतदान केन्द्र स्तर पर स्थापना।
6. संवदेनशील मतदान केन्द्रों को चिन्हित कर, मतदाताओं को प्रशासन द्वारा की जा रही सुरक्षा व्यवस्था से अवगत कराते हुए, मतदान के अधिकार का उपयोग करने हेतु प्रेरित करना।
7. मतदाताओं को, मतदान के मूल्य तथा लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका के प्रति जागरूक करना।
8. गर्भवती महिला, वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग मतदाताओं द्वारा सुगमता से मतदान किये जाने की प्रक्रिया से अवगत कराना।
9. दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर पहुंचने हेतु की गई व्यवस्था की जानकारी देना।
10. आयोग द्वारा किये गये नवाचारों एवं नियम निर्देशों में हुए संषोधनों से मतदाताओं एवं अभ्यर्थियों को अवगत कराना।
11. कोविड-19 के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अधिक से अधिक मतदान की अपील करना।
12. **E.V.M.** का प्रदर्शन एवं संचालन की जानकारी।
13. स्थानीय निर्वाचन विषय पर वाद विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता।
14. (अ)- वर्ष 2014 मे कम वोटिंग प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों का आंकलन कर, वहां के मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करना।
15. (ब)- नयी बसाहट, दिव्यांग मतदाता, दूरस्थ एवं बिखरे क्षेत्रों के मतदाताओं का आंकलन कर, मतदान के लिये प्रेरित करना।
16. स्थानीय निकाय निर्वाचन विषय पर युवा संवाद कार्यक्रम।
17. शासकीय विभागों,मीडिया एवं अन्य प्रचार माध्यमों की बैठकें एवं दायित्वों का निर्धारण।

18. मतदाता जागरूकता हेतु दलों का चयन।
19. मतदातन की प्रक्रिया की जानकारी देने एवं मतदान की अपील हेतु मतदाताओं से गृह सम्पर्क, संकल्प-पत्र पर हस्ताक्षर अभियान।
20. नुक्कड़ नाटक।
21. मतदान जागरूकता स्टॉल।
22. मतदाता जागरूकता कार्यक्रम।
23. मतदाताओं को ई.व्ही.एम. और निर्वाचन के महत्व की जानकारी का प्रदाय।
24. मतदान थीम पर मतदाता जागरूकता हेतु रंगोली, मेहंदी, लोकगीत, लोकनृत्य, भाषण, चित्रकला, स्लोगन, लेखन, सायकल रैली इत्यादि प्रतियोगिताएँ।
25. राजनैतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठकों का आयोजन कर आयोग द्वारा किये गये नवाचार एवं नियम निर्देशों में हुए संशोधन की जानकारी का प्रदाय।
26. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं अनुसूचित व्यवसायिक बैंक की मतदाता जागरूकता में सहभागिता सुनिश्चित कराना।
27. कोविड-19 के अंतर्गत प्रसारित दिशा निर्देशों के पालन हेतु जागरूकता।
28. अभ्यार्थियों के नाम निर्देशन पत्र ऑनलाईन जमा करने हेतु प्रचार-प्रसार एवं मतदान की तिथियों की जानकारी।
29. ''चुनाव'' मोबाइल एप एवं उसकी उपयोगिता के संबंध में प्रचार-प्रसार।
30. आयोग द्वारा किये गये नवाचारों एवं नियम निर्देशों में हुए संशोधनों से मतदाताओं एवं अभ्यर्थियों को अवगत कराना।
31. दिव्यांग मतदाता, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाओं की जानकारी का प्रचार।
32. मतदाताओं की सहायता एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु मतदाता सहायता केन्द्रों की स्थापना।
33. कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील के पोस्टर का प्रदर्शन।
34. आओ अपना बूथ सजायें।

4.11 <u>प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय एकता समिति</u>

माननीय मुख्यमंत्रीजी के मिनिट्स दिनांक 19/12/2018 से प्रदेश के समस्त निगमों, मण्डलों, प्राधिकरणों, समितियों, परिषदों एवं अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ संचालक/ सदस्यों के किए गए मनोनयन निरस्त किए गए हैं।

4.12 राज्य सत्कार कार्यालय

मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित राज्य अतिथियों के प्राप्त भ्रमण कार्यक्रम अनुसार उनके स्वागत, विदाई, आवास, परिवहन, भोजन एवं सुरक्षा आदि समस्त प्रोटोकाल का पालन राज्य सत्कार कार्यालय द्वारा किया जाता है।

राज्य अतिथि नियम - मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम 1958 में व्यापक संशोधन किया जाकर मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम, 2011 प्रकाशित किया गया है। मुख्य संशोधन राज्य अतिथियों का सूची-अ एवं ब में वर्गीकरण, शासकीय एवं अशासकीय प्रवास, अवधि, सुरक्षा, वाहन व्यवस्था, आवास व्यवस्था एवं संचार व्यवस्था में किया गया है।

- **राज्य अतिथियों की सत्कार व्यवस्था** - राज्य अतिथियों की सत्कार व्यवस्था हेतु राज्य सत्कार कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2020-21 में ''आतिथ्य पर व्यय'' मद में ₹ 5.00 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया गया, जिसका उपयोग मध्यप्रदेश भ्रमण पर रहे राज्य अतिथियों के आवास, परिवहन, खानपान आदि पर किया गया।

- **वी.वी.आई.पी. अतिथियों का आगमन** - प्रदेश में दिनांक 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक कुल 508 राज्य अतिथियों सहित अन्य विशिष्ट महानुभावों का आगमन हुआ।

भाग - दो

5. बजट

5.1 मांग संख्या - 001

सामान्य प्रशासन विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों/स्थापनाओं के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धन राशि का अनुमान

(राशि हजारों में)

क्र.	विषय	मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	प्रावधानित राशि	प्रथम अनुपूरक
1.	राज्यपाल सचिवालय	001	2012	मतदेय - 1,37,00 भारित - 13,36,99	- भारित - 24,05
2.	मंत्रि परिषद के सदस्यों का वेतन एवं पेट्रोल, अन्य व्यय एवं स्वेच्छानुदान	001	2013	मतदेय - 1,42,63,49	मतदेय - 20,00,00
3.	राज्य निर्वाचन आयोग	001	2015	मतदेय - 1,68,82,52 भारित - 10,00	मतदेय - 25,00,00
4.	लोक सेवा आयोग	001	2051	मतदेय - 48,20 भारित - 45,50,16	-
5.	सचिवालय सामान्य सेवाएं/ जन शिकायत निवारण/ राज्य मंत्रालय के पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता/ सार्वजनिक उपक्रम विभाग सूचना प्रोद्योगिकी, आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली, विशेष आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	001	2052	मतदेय - 1,62,26,82 भारित - 2,00	मतदेय - 60,00
6.	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सूचना प्रौद्योगिकी कार्य	001	2055	मतदेय - 29,50,21 भारित - 1,00	-
7.	आयुक्त म.प्र.भवन/ मुख्य तकनीकी परीक्षक	001	2059	मतदेय - 6,25,00	-
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं - प्रशासन अकादमी/ लोकायुक्त कार्यालय/ विभागीय जांच आयोग	001	2070	मतदेय - 52,37,88 भारित - 1,00	मतदेय - 1,76,00
9.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (इंदिरा गांधी सौहार्द पुरस्कार योजना)	001	2235	मतदेय - 1,25	-
10.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	001	2251	मतदेय - 39,89,64	-
11.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	001	3451	मतदेय - 31,54,43	-
12.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय लोक सेवा केन्द्रो का निर्माण एवं मध्यांचल भवन का निर्माण प्रशासन अकादमी एवं राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो	001	4059	मतदेय - 62,87,06	मतदेय - 2,13,54
13.	आवास पर पूंजीगत परिव्यय सरकारी रिहायशी भवन/साधारण पूल आवास	001	4216	मतदेय - 5,00,00	-
	मांग संख्या - 001 योग			**मतदेय - 7,03,03,50** **भारित - 39,73,15**	**मतदेय - 49,49,54** **भारित - 24,05**

बजट

5.2 मांग संख्या - 002

सामान्य प्रशासन विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों/स्थापनाओं के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धन राशि का अनुमान

(राशि हजारों में)

क्र.	विषय	मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	प्रावधानित राशि	प्रथम अनुपूरक
1.	सचिवालय सामान्य सेवाएं (अन्य कार्यालय)	**002**	2052	मतदेय - 9,00,04	-
2.	जिला प्रशासन (गणमान्य व्यक्तियों का भ्रमण)	**002**	2053	मतदेय - 1,04,55	-
3.	विशेष जांच आयोग/सरदार सरोवर परियोजना/ सत्कार कार्यालय एवं राज्य सूचना आयोग	**002**	2070	मतदेय - 18,31,12	मतदेय - 16,05
4.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना/ लोक नायक जय प्रकाश सम्मान निधि/ दुर्घटना में मृतकों के परिवार को सहायता)	**002**	2235	मतदेय - 66,64,00	-
5.	अन्य सामाजिक सेवाएं (अन्य संस्थाओं को अनुदान/ मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार)	**002**	2250	मतदेय - 66,00	-
	मांग संख्या - 002 योग			**मतदेय - 95,65,71**	**मतदेय - 16,05**

भाग - तीन

6. राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

1. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन योजना

(अ) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के प्रशासनिक भवन का निर्माण लोक निर्माण विभाग, नया भोपाल संभाग भोपाल द्वारा संपादित किया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भवन का लोकार्पण दिनांक 28/02/2012 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किए जाने के फलस्वरूप प्रशासनिक कार्यालय दिनांक 01/08/2012 से नवनिर्मित प्रशासनिक कार्यालय भवन में संचालित हो रहा है।

(ब) आधुनिक उन्नयन योजना अंतर्गत कार्यालय को नवीन तकनीकी संसाधनों से युक्त करने के लिए अत्याधुनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. एवं सी-डैक के माध्यम से स्थापित किया गया है एवं प्रकोष्ठ में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, डाक्यूमेंट डिवीजन तथा आधुनिक लैब एवं आरकाइव की सुविधा उपलब्ध है।

2. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ नवीन इकाई सागर एवं उज्जैन

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को प्रभावी बनाने हेतु जिला सागर एवं उज्जैन में पृथक यूनिट को स्थापित करने हेतु दिनांक 30/09/2013 को शासन स्वीकृति प्रदाय की गई है। प्रकोष्ठ इकाई उज्जैन द्वारा दिनांक 06/12/2014 से कार्य प्रारंभ कर दिया है एवं प्रकोष्ठ इकाई सागर द्वारा दिनांक 18/06/2018 से कार्य प्रारंभ कर दिया है।

3. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित कार्यालय एवं आवास भवन निर्माण योजनाऐं गतिशील हैं:-

(अ) प्रकोष्ठ इकाई रीवा कार्यालय एवं आवास निर्माण कार्य योजना

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई रीवा कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण योजना की कुल लागत राशि ₹9,90,00,000/- है। इस योजना हेतु शासन द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति एवं सैद्धांतिक स्वीकृति विगत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदान की जा चुकी है। इस योजना की निर्माणकर्ता एजेन्सी लोक निर्माण विभाग है। जिसका कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारंभ है। इस योजना हेतु इस वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) रीवा को राशि ₹93.65 लाख आवंटित की गई है।

(ब) प्रकोष्ठ इकाई उज्जैन कार्यालय एवं आवास निर्माण कार्य योजना

प्रकोष्ठ की इकाई उज्जैन कार्यालय एवं स्टाफ क्वाटर्स के निर्माण के लिए दिनांक 15/06/2018 के माध्यम से राशि ₹7,78,41,587/- की प्रशासकीय स्वीकृति एवं बजट आवंटन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था। शासन के पत्र दिनांक 14/10/2020 के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक परिदृष्य में प्रस्ताव स्थगित रखने का परामर्श दिया गया है। अतः प्रकोष्ठ के पत्र दिनांक 10/11/2020 के माध्यम से पुनः पुर्नविचार किए जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया है।

(स) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ म.प्र. में निम्न कार्यालय स्वयं के भवन में स्थापित होकर कार्य कर रहे हैं:-

क. भोपाल, प्रशासनिक भवन।
ख. प्रकोष्ठ इकाई ग्वालियर कार्यालय।
ग. प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर कार्यालय।
घ. प्रकोष्ठ इकाई इंदौर कार्यालय।

भाग - चार

7. जांच आयोग

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न घटनाओं की जांच हेतु जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा-3 के प्रावधान के अंतर्गत जांच आयोग का गठन किया जाता है। राज्य शासन द्वारा विगत वर्षो में गठित जांच आयोग का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	आयोग का नाम	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक	आयोग के अध्यक्ष का नाम	आयोग से जांच रिपोर्ट प्राप्त/अप्राप्त	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की अनियमितताओं की जांच हेतु जांच आयोग।	एफ 22-15/2005/1-10 दि. 08/02/2008	मान. न्यायमूर्ति श्री एन. के. जैन	दि. 15/09/2012 को जांच रिपोर्ट प्राप्त	सामाजिक न्याय विभाग में कार्यवाही प्रचलित है।
2.	भोपाल यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव जांच आयोग।	एफ 24-09/2010/1-10 दि. 25/08/2010	मान. न्यायमूर्ति श्री एस. एल. कोचर	दि. 24/02/2015 को जांच रिपोर्ट प्राप्त	गैस राहत विभाग में कार्यवाही प्रचलित
3.	जिला भिण्ड गोली चालन घटना न्यायिक जांच आयोग।	एफ 24-01/2012/1-10 दि. 12/07/2012	मान. श्री सी.पी. कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश	दि. 31/12/2017 को जांच रिपोर्ट प्राप्त	जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही हेतु गृह विभाग को दिनांक 17/01/2018 को भेजा गया।
4.	गोसपुरा नं.02 मानमंदिर, ग्वालियर की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु जांच आयोग।	एफ 24-3/2015/1-10 दि. 17/08/2015	मान. श्री सी.पी. कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश	दि. 09/01/2017 को जांच रिपोर्ट प्राप्त	गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित
5.	पेटलावद जिला झाबुआ में हुए विस्फोट घटना जांच आयोग।	एफ24-05/2015/1-10 दि. 15/09/2015	मान. न्यायमूर्ति श्री आर्येन्द्र कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मान. उच्च न्यायालय	दि. 11/12/2015 को जांच प्रतिवेदन मुख्य सचिव कार्यालय में प्राप्त।	दिनांक 06/04/2016 को गृह विभाग भेजा गया। कार्यवाही प्रचलित।
6.	पेटलावद में मोहर्रम जुलूस को रोके जाने की घटना जांच आयोग।	एफ 24-9/2016/1-10 दि. 20/11/2016	मान. श्री राजकुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	दि. 20/11/2017 को जांच रिपोर्ट प्राप्त।	दि. 05/07/2019 को जांच प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा गया।
7.	मंदसौर में घटित घटना जांच आयोग।	एफ 24-6/2017/1-10 दि. 12/06/2017	मान. न्यायमूर्ति श्री जे.के.जैन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मान. उच्च न्यायालय	जांच प्रतिवेदन प्राप्त।	दि. 14/06/2018 को जांच प्रतिवेदन गृह विभाग को भेजा गया।

भाग - पांच

8. अभिनव योजना/कार्य

(1) दिनांक 01 नवम्बर, 2020 को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 के कारण नही हो सका।

(2) मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु एक्वागार्ड व्यवस्था निरन्तर जारी है।

(3) शासकीय अभिलेखों को डिजिटल करने, कार्यालयों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करने, काम की गति व पारदर्शिता को बढावा देने और कागजरहित स्वच्छ कार्यप्रणाली के उद्देश्य से राज्य मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली 02/04/2018 से लागू की गई है।

भाग - छः

9. निकाले जा रहे प्रकाशन

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के वर्षवार संकलन का प्रकाशन वर्ष 2015 तक किया गया है। वर्ष 2016 से संकलन का प्रकाशन न किया जाकर निर्देशों को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जा रहा है।

भाग - सात

10. महिला सशक्तिकरण

राज्य शासन का सामान्य प्रशासन विभाग महिलाओं के समग्र विकास के लिए नीतियों के निर्माण एवं उसके पालन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कृत संकल्पित है। उल्लेखनीय है कि 19 मई, 1999 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सभी विभागों में समितियों के गठन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से सभी विभागों को उनके प्रशासनिक प्रतिवेदन में जेण्डर मुद्दों से संबंधित चेप्टर सम्मिलित करने के निर्देश पत्र क्रमांक एफ 11-19/2015/1/9 भोपाल, दिनांक 08/05/2015 के द्वारा जारी किए गए हैं। इसी तरह सभी विभागों को जेण्डर रिस्पोंसिव बजट की विभागीय स्तर समीक्षा एवं निगरानी के लिए जेण्डर सेल के गठन के भी निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से दिये गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर भी पत्र क्रमांक एफ 11-07/2016/1/9 भोपाल, दिनांक 15/02/2016 के माध्यम से प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में जेण्डर सेल का गठन किया गया।

जेण्डर संवेदनशीलता पर अनिवार्य प्रशिक्षण संबंधी बिन्दु को अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावाली में जोड़ने के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक 1017/11-26/2015/1/9 भोपाल, दिनांक 07/08/2015 के द्वारा सभी विभागों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में निम्नानुसार संशोधन किया है:-

''किन्ही सेवा नियमों में किसी बात के होते हुये भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (हॉरिजेण्टल एंड कम्पार्टमेंटवाइस) होगा।''

भाग - आठ

11. सारांश

सामान्य प्रशासन विभाग राज्य शासन का प्रमुख विभाग है जो सभी विभागों का समन्वय कर राज्य शासन की नीति/नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोक सेवकों की सेवा से संबंधित नियम/निर्देश, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं विभागीय जांच संबंधी नियम/ निर्देश जारी करने के साथ ही लोकायुक्त संगठन, मानव अधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य सूचना आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओ के प्रशासकीय विभाग का कार्य करता है।

सामान्य प्रशासन विभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, निःशक्तजनों, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों तथा महिलाओं के लिए शासकीय सेवा में आरक्षण संबंधी नियम/ निर्देश जारी करने के साथ ही शासकीय सेवा में इनके प्रतिनिधित्व की मॉनिटरिंग करता है।

जाति प्रमाण पत्र बनाने में आमजन को आ रही कठिनाई को दूर करते हुए इसका सरलीकरण किया जाकर जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है।

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र एवं अनुप्रमाणित शपथ पत्र के स्थान पर स्व घोषणा-पत्र लागू करने तथा दस्तावेज के स्व-प्रमाणीकरण को मान्य किया गया।

संवेदनशील प्रशासन को महत्व देते हुए विभाग के अंतर्गत आने वाली स्थापनाओं के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के अचल संपत्ति विवरण वेबसाईट पर उपलब्ध कराने के साथ ही सभी संवर्गों के समयमान वेतनमान संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। वरिष्ठता सूचियां भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा विभागीय जांच एवं शिकायतों के प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया गया।

भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अपराधों पर रोक लगाने की दृष्टि से गठित आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को और अधिक सुदृढ बनाने के लिए उसका आधुनिकीकरण एवं उन्नयन किया गया है।

सुशासन की दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार लाने, उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी द्वारा अनेक नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं।

: : :

परिशिष्ट - एक

सामान्य प्रशासन विभाग के कक्षों में कार्य आवंटन

कक्ष

1. कक्ष क्रमांक -1

1. शासन के कार्य आवंटन नियम तथा कार्य नियम
2. राजभवन
3. मंत्रि परिषद् (गठन, शपथ-विधि, मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम, बजट)
4. मंत्रि परिषद् की बैठक
5. मंत्रि परिषद् उप समितियों के गठन
6. मंत्रियों के विवेकाधीन निधि/जनसंपर्क दौरे/जनसंपर्क अनुदान
7. उच्च न्यायालय
8. लोक सेवा आयोग
9. प्रशासनिक अधिकरण
10. विलीनीकृत रियासतों से संबंधित मामले

    अर्थात

    (एक) एकीकरण करार

    (दो) राजाओं के व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार, उनकी निजी थैलियां निजी संपत्ति, और उनके परिवार के सदस्यों को भत्ते

    (तीन) विलीनीकरण के पूर्व ऐसी रियासतों में राज्य समारोहों के रुप में मनाये जाने वाले समारोह
11. वारंट ऑफ प्रेसिडेन्स

2. कक्ष क्रमांक -2(1)

राज्य प्रशासनिक सेवा से संबंधित स्थापना विषयक कार्य

1. नियुक्ति, सीधी भरती, विभागीय परीक्षा
2. प्रशिक्षण
3. गोपनीय प्रतिवेदन
4. पदोन्नति एवं क्रमोन्नति
5. सेवानिवृत्त
6. कैरियर प्लानिंग
7. वरिष्ठता निर्धारण, पदक्रम सूची
8. विधान सभा प्रश्न
9. न्यायालयीन प्रकरण
10. सूचना का अधिकार
11. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन

12. स्थानान्तरण
13. अवकाश स्थायीकरण, सेवानिवृत्ति, पुनर्नियुक्ति, सेवावृद्धि
14. परीक्षा अनुमति, परीक्षा में छूट
15. राज्य सीमा से बाहर की यात्रा

3. कक्ष क्रमांक -2(2)

राज्य प्रशासनिक सेवा से संबंधित विजिलेंस विषयक कार्य

1. विभागीय जांच/अपील
2. अभियोजन, शिकायत
3. अचल संपत्ति विवरण
4. पेंशन
5. निलंबन एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही
6. विधान सभा प्रश्न
7. न्यायालयीन प्रकरण
8. सूचना का अधिकार
9. वेतन निर्धारण
10. गृह निर्माण अग्रिम
11. जीआईएस/जीपीएफ आदि

4. कक्ष क्रमांक -3

1. शासकीय सेवकों की सेवा की सामान्य शर्ते
2. शासकीय सेवकों के विषय में आचरण एवं अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी नियम/निर्देश
3. अस्थाई एवं अर्द्ध स्थाई सेवा नियम
4. सेवा भरती नियम
5. सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति के मार्गदर्शी निर्देश
6. तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति के नियम/निर्देश/प्रतिनियुक्ति
7. हिन्दी मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन परीक्षा सम्बन्धी नियम/निर्देश
8. मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013
9. अतिशेष कर्मचारियों का संविलियन
10. अनुकम्पा नियुक्ति
11. स्नातकोत्तर तथा अन्वेषणात्मक (डाक्टरेट) उपाधियां प्राप्त करने एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित अग्रिम वेतन वृद्धि
12. शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य
13. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित कार्य
14. तदर्थ रुप से कार्यभारित तथा आकस्मिकता व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण, भरती नियम आदि
15. कर्मचारी संघो द्वारा समय-समय पर दिये गए ज्ञापनों/मांगो पर कार्यवाही

16. वेतनमानों का युक्तियुक्तकरण
17. वेतनमान/वेतनमान विसंगति के प्रकरण/वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं
18. पदनाम परिवर्तन
19. विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों को राजपत्रित घोषित किया जाना

5. कक्ष क्रमांक - 4(1)

1. राज्यपाल का अभिभाषण/कृतज्ञता ज्ञापन
2. भौगोलिक नामों में परिवर्तन
3. शासकीय भवनों का नामकरण
4. संसद सदस्यों की बैठक
5. संसद और विधान सभा के सदस्यों और प्रशासन के बीच समन्वय
6. सचिव समिति/विभिन्न समितियों का गठन
7. मध्यप्रदेश भवन, मध्यांचल भवन नई दिल्ली तथा मुबंई स्थित परिसम्पतियों से सम्बन्धित समस्त कार्य
8. राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गीत
9. राज्य चिन्ह
10. छुट्टियां
11. शासकीय प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय केलेण्डर
12. विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दो पर सामान्य निर्देश/अभिमत
13. उच्च पदस्थ व्यक्तियों का आगमन
14. राज्य अतिथिगृह और राज्य अतिथियों का आतिथ्य
15. पारितोषक और अलंकरण
16. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि
17. राष्ट्रपति से अलंकृत व्यक्तियों को वित्तीय सहायता से संबंधित मामले
18. राष्ट्रीय त्यौहार
19. राज्य के उत्सव और समारोह
20. संयुक्त राष्ट्र संघ
21. राजपत्र (असाधारण/राजपत्रों का प्रदाय)
22. महत्वपूर्ण घटनायें
23. विशिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु और संवेदना संदेश (शोक)
24. विभिन्न मांग पत्र
25. टैरीटोरियल आर्मी
26. फील्ड फायरिंग रेंजेज
27. ऐसे विषय जो शासन के किसी विभाग को आवंटित न हो
28. भवन अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र से संबंधित कार्य
29. सामान्य चुनाव-सामान्य निर्देश, शिकायतें आदि
30. घोषणाएं-माननीय मुख्यमंत्रीजी/मंत्रीगण

6. कक्ष क्रमांक 4(2) (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)

राज्य पुनर्गठन से संबंधित समस्त कार्य

7. कक्ष क्रमांक 5

भारतीय प्रशासनिक सेवा

1. अधिकारियों की पदस्थापना, स्थानान्तर, पदोन्नति, सेवा नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति
2. गृह निर्माण, वाहन अग्रिम आदि
3. अवकाश, प्रशिक्षण
4. राज्य प्रशासनिक सेवा एवं अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति/चयन
5. वरिष्ठता निर्धारण, सिविल सूची, संवर्ग परिवर्तन
6. गोपनीय चरित्रावली का संधारण, अखिल भारतीय (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियम, 2007 के अनुसार 2007-08 से आगे के वर्षों के वार्षिक पी.ए.आर. डिस्क्लोज करने तथा प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण
7. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति, स्थाईकरण
8. विभिन्न राज्यों के लोक सभा/विधान सभा चुनाव के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति

8. कक्ष क्रमांक 6

भारतीय प्रशासनिक सेवा

1. शिकायतें, अनुशासनात्मक कार्यवाही, विभागीय जांच
2. संपत्ति प्रपत्र का संधारण आदि
3. सेवा अभिलेखों का संधारण
4. वेतनवृद्धि, वेतन निर्धारण, पेंशन, केन्द्रीय समूह बीमा योजना, जी.आई.एस.आदि लेखा संबंधी कार्य.
5. मंत्रालय सेवा के प्रथम श्रेणी अधिकारियों एवं अवरसचिव, उपसचिव, अपर सचिव, मान. मंत्रीजी के विशेष सहायक के सेवा अभिलेखों का संधारण वेतनवृद्धि, वेतन निर्धारण, वेतन पर्ची जारी करना

9. कक्ष क्रमांक 7(1)

मध्यप्रदेश मंत्रालय के तृतीय श्रेणी एवं तकनीकी कर्मचारियों के सभी प्रकार के सेवा संबंधी कार्य

1. नियुक्ति
2. पदोन्नति
3. परिवीक्षा/स्थायीकरण
4. पदस्थापना
5. अनुशासनात्मक कार्यवाही
6. पद निर्माण
7. कर्मचारियों के बायोडाटा का कम्प्यूटरीकरण
8. मंत्री स्थापना में स्टाफ की पूर्ति
9. बैंक ऋण
10. विभाग/कक्षों के कार्य बोझ का अध्ययन

11. आई. टी. सेल
12. गोपनीय प्रतिवेदन
13. पदक्रम सूची
14. मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति
15. मंत्रालय से अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति
16. लेखा प्रशिक्षण
17. कम्प्यूटर प्रशिक्षण
18. मंत्रालयीन कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण
19. 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों के संबंध में छानबीन समिति की कार्यवाही

10. कक्ष क्रमांक 7(2)

मध्यप्रदेश मंत्रालय के तृतीय श्रेणी एवं तकनीकी कर्मचारियों के सभी प्रकार के सेवा संबंधी कार्य

1. पेंशन
2. वेतन निर्धारण
3. वार्षिक एवं अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति
4. अचल संपत्ति का रख रखाव/चल-अचल संपत्ति क्रय/विक्रय की सूचना ग्राह्य करने की कार्यवाही।
5. अवकाश स्वीकृतियां
6. सामान्य भविष्य निधि नियम 1955 के अंतर्गत स्वीकृतियां
7. मध्यप्रदेश समूह बीमा योजना 1985 एवं मध्यप्रदेश परिवार कल्याण निधि योजना 1974 के अंतर्गत स्वीकृतियां, म.प्र. शासकीय कर्मचारी, बीमा-सह-बचत योजना, 2003
8. मध्यप्रदेश चिकित्सा परिचर्या नियम के अंतर्गत स्वीकृतियां
9. गृह भाड़ा भत्ता एवं सचिवालय भत्ता की स्वीकृतियां
10. मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम तथा यात्रा सुविधा नियमों के अंतर्गत दावों की स्वीकृतियां
11. मूलभूत नियमों के अंतर्गत मानदेय एवं फीस की स्वीकृतियां
12. अनुग्रह, अनुदान एवं विशेष वेतन स्वीकृतियां
13. सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्तियों का संधारण

11. कक्ष क्रमांक 7(3)

मंत्रालयीन सेवा एवं गैर भारतीय प्रशासनिक सेवा

1. गैर मंत्रालयीन सेवा (भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़कर) के अधिकारियों की पदस्थापना
2. मंत्रालयीन सेवा के अतिरिक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/स्टाफ ऑफिसर/निज सचिव/अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति/पदोन्नति
3. वेतन, वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि
4. अवकाश स्वीकृति
5. अनुशासनात्मक कार्यवाही, शिकायतें
6. सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति

7. वाहन अग्रिम, गृह निर्माण अग्रिम आदि
8. अचल संपत्ति विवरण का रख-रखाव एवं क्रय स्वीकृति आदि
9. गोपनीय प्रतिवेदन

12. कक्ष क्रमांक 8

विधान सभा से संबंधित समन्वय का कार्य

1. सामान्य प्रशासन विभाग में प्राप्त होने वाले अन्य विभाग से संबंधित विधान सभा प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचनायें, स्थगन प्रस्ताव का विभागों को आवंटन तथा विधान सभा आश्वासन, अपूर्ण उत्तरों का समन्वय
2. विभागीय समन्वय कार्य
3. विभागीय डाक वितरण व्यवस्था संबंधी कार्य
4. सामान्य प्रशासन विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार करना
5. न्यायालयीन प्रकरणों का समन्वय कार्य
6. विभागीय लोक लेखा समिति से संबंधित समन्वय कार्य

13. कक्ष क्रमांक 9(1)

1. प्रशासन अकादमी
2. प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण
3. मध्यप्रदेश की राज्य प्रशिक्षण नीति
4. विभिन्न विभागों की प्रशिक्षण संस्थाओं में समन्वय
5. म. प्र. सेटकॉम (सेटेलाइट प्रशिक्षण)
6. राज्य प्रशिक्षण परिषद
7. एकल नस्ती एवं राज्य स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था
8. सामान्य पुस्तक परिपत्र का पुनरीक्षण
9. मंत्रालय में फाइल मूव्हमेंट सिस्टम
10. मुख्य सचिव मॉनिटरिंग, उच्च प्राथमिकता योजनाओं का समन्वय, घोषणा-पत्र का समन्वय कार्य
11. सचिवालय पुस्तिका का पुनरीक्षण

14. कक्ष क्रमांक 9(2)

1. जिला सरकार प्रणाली
2. द्वि-स्तरीय शासन प्रणाली
3. ग्राम सरकार के गठन का समन्वय
4. प्रभारी सचिवों की नियुक्ति
5. निरीक्षण एवं निरीक्षण रोस्टर
6. सामान्य प्रशासन विभाग के अन्य कक्षों के विषय छोड़कर शेष का अंतर विभागीय समन्वय
7. टास्क समूह के प्रतिवेदनों पर कार्यवाहीयां/चुनाव घोषणापत्र पर कार्यवाही
8. स्थानांतरण नीति

9. गोपनीय चरित्रावली
10. विभिन्न विभागों के प्रशासकीय प्रतिवेदन
11. विघटित कक्ष-9 के अवशेष कार्य
12. नवगठित जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था
13. अंतर्राज्यीय परिषद/मध्यक्षेत्रीय परिषद
14. मुख्यमंत्री/विभागीय मंत्री/मुख्य सचिवों की बैठक, संभागीय आयुक्त/कलेक्टर्स की बैठक
15. विभागाध्यक्ष घोषित करना
16. महिला नीति
17. जनसुनवाई कार्यक्रम
18. मंथन

15. कक्ष क्रमांक 10

1. लोकायुक्त संगठन
2. मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन
3. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण, निवारण अधिनियम तथा इसके अंतर्गत कार्रवाई
4. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से संबंधित प्रकरण तथा प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य
5. अचल संपत्ति विवरण
6. जाली मेडिकल बिलों पर नियंत्रण संबंधी समस्त कार्य
7. जनता की शिकायतों के निवारण हेतु अनुविभागीय समितियां
8. जांच आयोग एवं समितियां

16. कक्ष क्रमांक 11

1. मंत्रालयीन अभिलेख, अभिलेखागार
2. पुस्तकालय
3. कनिष्ट सेवा चयन मण्डल

17. कक्ष क्रमांक 12(1)

1. मंत्रालय में कक्षों का आवंटन
2. मंत्रालय, वल्लभ भवन की साफ-सफाई व्यवस्था
3. मंत्रालय में होने वाली बैठकों की व्यवस्था
4. मंत्रालय के लिए फर्नीचर, क्रय मंत्रिगण/अधिकारियों द्वारा वांछित सामग्री की व्यवस्था
5. मंत्रालय में स्टेशनरी प्रदाय
6. कम्प्यूटर, फोटो कापीयर, टाईपराइटर, डुप्लीकेटिंग, घड़ियों की व्यवस्था/रखरखाव
7. लिफ्ट, पानी तथा विद्युत व्यवस्था
8. मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रवेश-पत्र
9. सेन्ट्रल डाक व्यवस्था
10. वर्दी का प्रदाय

11. पार्किंग व्यवस्था, केंटीन व्यवस्था एवं रद्दी नीलामी

18. कक्ष क्रमांक 12(2)

1. मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थापना/पदस्थापना
2. मंत्रिगणों की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन, वेतनवृद्धि, पेंशन आदि
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अग्रिम-अनाज, आदि

19. कक्ष क्रमांक 13

1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करना
2. राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को राज्य सम्मान निधि
3. केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रकरणों का केन्द्रीय पेंशन नियमों के अंतर्गत शासन की अनुशंसा प्रेषित करना
4. स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को सम्मान निधि, मृत्यु उपरांत अंत्येष्टि के लिए आर्थिक सहायता तथा गंभीर बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता, बजट प्रावधान/आवंटन
5. मीसा/डी.आइ.आर में निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान निधि

20. कक्ष क्रमांक 14 (तीन कक्ष हैं)

1. मंत्रालय का लेखा संबंधी कार्य
2. सामान्य प्रशासन विभाग के बजट का समन्वय
3. वित्तीय मामलों से संबंधित समस्त अन्य कार्य

21. कक्ष क्रमांक 15

1. राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद का गठन, बैठक
2. कर्मचारी संघों को पत्राचार की मान्यता प्रदाय करना
3. विभागीय/विभागाध्यक्ष/संभाग/जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समितियों के गठन की जानकारी
4. सतर्कता समिति की बैठकों से संबंधित कार्य
5. संयुक्त परामर्शदात्री समिति
6. पत्राचार की सुविधा प्राप्त कर्मचारी संघों से प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही।

प्रकोष्ठ

1. आरक्षण प्रकोष्ठ

1. लोक सेवा एवं पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण आदि से संबंधित अधिनियम/नियम/निर्देश तथा उनका समन्वय कार्य
2. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 के तहत की गई कार्यवाही का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत करना
3. भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों की नियुक्तियों में आरक्षण तथा सुविधाओं से संबंधित नियम/निर्देश

4. महिलाओं के लिए राज्य शासन की सेवाओं में आरक्षण संबंधी नियम/निर्देश
5. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन-समन्वय

2. मानव अधिकार प्रकोष्ठ

1. मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत से संबंधित समस्त कार्य

3. पेंशन प्रकोष्ठ

1. मंत्रालय सेवा के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का अन्तिम निराकरण कराया जाना.
2. मंत्रालयीन कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन निर्धारण से संबंधित कार्य
3. राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का परीक्षण एवं उनका अन्तिम निराकरण कराया जाना आदि

4. पंच-ज प्रकोष्ठ

जन, जल, जंगल, जमीन एवं जानवरों से संबंधित शासन द्वारा घोषित कार्यक्रम एवं समन्वय कार्य.

5. स्थानान्तर प्रकोष्ठ

प्रथम श्रेणी अधिकारियों से प्राप्त स्थानान्तरण संबंधी अभ्यावेदन पर कार्यवाही

6. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन तथा मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग से संबंधित प्रशासनिक कार्य

7. सुशासन प्रकोष्ठ

1. आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन द्वारा सुशासन के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कदम उठाये गये हैं। सुशासन विषय पर दिनांक 08/08/2020 को भारत के नीति आयोग का सहयोग प्राप्त कर अनेक विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों के साथ मिलकर वेबीनार के माध्यम से विचार-विमर्श एवं मंथन कर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश हेतु आगामी तीन वर्षों का रोडमैप 2023 तैयार किया गया है। सुशासन से संबंधित आउटपुट/आउटकम बिंदुओं पर कार्यवाही प्रचलन में है।

2. इनोवेशन पोर्टल

विभागों की जटिल एवं चुनौतीपूर्ण प्रकृति की समस्याओं एवं चुनौतियों का नवाचारयुक्त समाधान, ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उभरती हुए नवीनतम तकनीकों के माध्यम से प्राप्त करने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा पोर्टल विकसित किया गया है। मध्यप्रदेश इनोवेशन पोर्टल पर प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों के संबंध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इनोवेशन पोर्टल पर प्राप्त सुझावों को संकलित किया जाकर परीक्षण एवं परीक्षण उपरांत चयनित सुझावों के चयन/क्रियान्वयन की कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में छानबीन समिति बनाई गयी है।

इनोवेशन पोर्टल पर प्राप्त सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित तीन सुझावों/बिंदुओं पर कार्यवाही प्रचलित है।

8. मुख्य सचिव कार्यालय

मंत्रि-परिषद की बैठक की तैयारी एवं बैठक का आयोजन

9. सत्कार कार्यालय

1. राज्य अतिथि घोषित करना, उनकी अगवानी बिदाई तथा उनके आतिथ्य से संबंधित अन्य व्यवस्था
2. अतिविशिष्ट गणों के प्रदेश भ्रमण पर अगवानी, बिदाई, परिवहन व्यवस्था आदि
3. शासकीय भोज के आयोजन पत्र के निमंत्रण संबंधी व्यवस्था
4. व्हीआईपी गेस्ट हाउस एवं सर्किट हाउस में कक्ष आरक्षण
5. विभिन्न राज्यो के सत्कार कार्यालयों से समन्वय

परिशिष्ट - दो

राज्य शासन के विभागों के नामों की सूची

एक	सामान्य प्रशासन विभाग
दो	गृह विभाग
तीन	जेल विभाग
चार	वित्त विभाग
पांच	वाणिज्यिक कर विभाग
X छः	(विलोपित - धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग - 03/01/2019)
सात	राजस्व विभाग
आठ	परिवहन विभाग
नौ	खेल और युवा कल्याण विभाग (दिनांक 16/07/2007 से परिवर्तित)
दस	वन विभाग
ग्यारह	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (05/10/2018 से परिवर्तित नाम)
बारह	खनिज साधन विभाग
तैरह	ऊर्जा विभाग
चौदह	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (04/01/2007 से कृषि विभाग का परिवर्तित नाम)
पंद्रह	सहकारिता विभाग
सौलह	श्रम विभाग
सतरह	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
अठारह	नगरीय विकास एवं आवास विभाग (30/06/2016 से नाम परिवर्तित)
उन्नीस	लोक निर्माण विभाग
बीस	स्कूल शिक्षा विभाग
इक्कीस	विधि और विधायी कार्य विभाग
बाईस	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
तैईस	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग
चौईस	जनसंपर्क विभाग
पच्चीस	आदिम जाति कल्याण विभाग (दिनांक 23/03/2019 से नाम परिवर्तित)
छब्बीस	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग (दिनांक 11/09/2013 से परिवर्तित)
सत्ताईस	नर्मदा घाटी विकास विभाग
X अट्ठाईस	(विलोपित - पुनर्वास विभाग - 19/07/2016)
उन्नतीस	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
तीस	संस्कृति विभाग
इकत्तीस	जल संसाधन विभाग
X बत्तीस	(विलोपित - आवास और पर्यावरण विभाग - 15/07/2014)
तैंतीस	पर्यटन विभाग
चौंतीस	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
पैंतीस	पशुपालन विभाग
छत्तीस	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग (दिनांक 17/05/2012 द्वारा नाम परिवर्तन)

X सैंतीस	(विलोपित-डेयरी विकास - 03/01/2000)
अड़तीस	उच्च शिक्षा विभाग
X उन्तालीस	(विलोपित - लघु सिंचाई - 24/12/1986)
X चालीस	(विलोपित - आयाकट - 17/08/2001)
इकतालीस	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (दिनांक 12/02/2015 द्वारा नाम परिवर्तन)
बयालीस	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग (दिनांक 01/01/2018 द्वारा नाम परिवर्तन)
X तिरतालीस	(विलोपित - बीस सूत्र कार्यान्वयन - 17/09/2010)
X चौवालीस	(विलोपित - सार्वजनिक उपक्रम विभाग - दिनांक 19/03/2014)
पैंतालीस	विमानन विभाग
X छयालीस	(विलोपित - नगरीय कल्याण - 22/08/1998)
सैंतालीस	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग
अड़तालीस	संसदीय कार्य विभाग
X उनन्चास	(विलोपित - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण - 22/11/1990)
पचास	महिला एवं बाल विकास विभाग
X इक्यावन	(विलोपित - बायो गैस विकास - 06/07/1992)
बावन	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (13/10/2010)
X तिरपन	(विलोपित - जन शिकायत निवारण विभाग - 09/05/2017)
चौवन	पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
पचपन	चिकित्सा शिक्षा विभाग
X छप्पन	(विलोपित - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - 28/07/2014)
X सत्तावन	(विलोपित - जैव विविधता (बायोडायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी) विभाग - 25/08/2014)
अट्ठावन	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग (22/12/2005)
उनसठ	आयुष विभाग (09/09/2008)
साठ	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग (05/10/2010)
इकसठ	लोक सेवा प्रबंधन विभाग (06/09/2010)
बासठ	विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग (22/06/2011)
तिरेसठ	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (21/07/2011)
चौसठ	प्रवासी भारतीय विभाग (15/05/2015)
पेंसठ	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (05/04/2016)
छियासठ	पर्यावरण विभाग (30/06/2016)
X सढ़सठ	(विलोपित - आनंद विभाग - 03/01/2019)
अड़सठ	अध्यात्म विभाग (03/01/2019)
उनहत्तर	लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (26/09/2020)

-:-:-:-

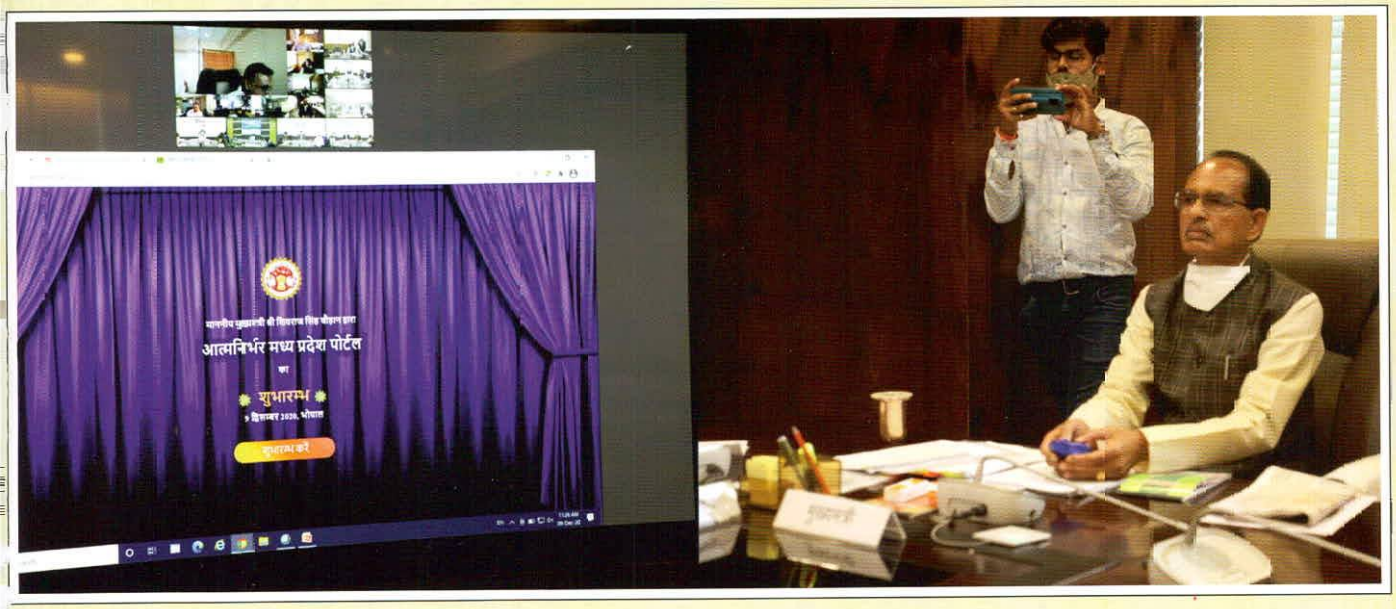
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल
का
शुभारम्भ
9 दिसम्बर 2020, भोपाल

मध्यप्रदेश माध्यम/2021
विकास आफसेट, भोपाल